दैनिक
नवप्रदेश
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
प्रदेश के साथ पूरा देश...
www.navpradesh.com
रायपुर, मंगलवार 13 अक्टूबर 2020, आश्विन कृष्ण पक्ष-एकादशी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-243 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए
छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, से एक साथ प्रकाशित

भाजपा की बुरी हार के 22 माह बाद संघ के मंथन में पता चला कि बेलगाम नौकरशाही और राष्ट्रीय नेत्री की महत्वाकांक्षा से डरकर भाजपा के सदस्यों ने ही भाजपा को वोट नही दिया

विशेष संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की गोबर खरीदी योजना की राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ द्वारा की गई तारीफ का मसौदा अब धीरे-धीरे बाहर आ रहा है। संघ के स्वंय सेवक छत्तीसगढ़ के गावों में यह जानने निकल गए है कि आखिर भाजपा सरकार से कौन सी गलतियां हो गई थी कि इतनी बुरी हार हुई। मौजूदा कांग्रेस सरकार के दिसंबर में दो साल पूरे होने जा रहे है। जिस तरह सरकार अपने दो साल की उपलब्धियों को गिनवाएगी उसी तरह संघ का केडर खामियों व खासियतों की रिपोर्ट तैयार कर रहा हैं।

दरअसल संघ जनवरी 2018 से अक्टूबर 2018 तक भाजपा सरकार की उन निर्णयों की समीक्षा कर रहा हैं जिसके चलते भाजपा की बुरी तरह हार हुई। गांव और शहर के हर तीसरे परिवार से यह पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियां हुई कि भाजपा की न केवल सत्ता चली गई बल्कि बुरी तरह हार हुई। संघ के स्वंय सेवको को जनता की ओर से मिलने वाला फीडबेक बड़ा रोचक है। भाजपा द्वारा घोषित किसानों का दो साल का बोनस नही देना गहरी नाराजगी का

कारण था। वही मोबाईल को शहरी क्षेत्र में और किसानों का दो साल बचा धान का बोनस ग्रामीण क्षेत्र में बाट दिया जाता तो इतनी बुरी स्थिति नही होती। संघ के अतिविश्सनीय सूत्रो की यदि माने तो बेलगाम नौकरशाही तथा सत्ता और संगठन से जुड़े कुछ अतिमहत्वाकांक्षी पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री पद के दावे को लेकर की गई बयानबाजी इतनी भारी पड़ी कि भाजपा के सदस्यों ने ही डरकर भाजपा को वोट नही दिया कि कही हमारे वोट से गैर छत्तीसगढ़ नेत्री सीएम न बन जाए।

राष्ट्रीय नेत्री द्वारा दिए जाने वाले बयानो से भाजपा के लोग डर गए थे कि एक बार भी कोई गैर छत्तीसगढ़ी मुख्यमंत्री बना तो राज्य की ढाई करोड़ आबादी माफ नही करेगी। वही दूसरी तरफ कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के सभी दावेदार सभी स्थानीय थे जिसमें से तीन तो बहुसंख्यक पिछड़ा वर्ग से थे। यह आकलन संघ ने कुछ इस तरह निकाला कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के 62 लाख सदस्य है और 45 लाख वोट मिले हैं जबकि कांग्रेस को 65 लाख वोट मिले है। सूत्र बताते है कि बेलगाम नौकरशाही यह साबित करना चाहती थी कि गुजरात माडल की तर्ज पर चौथी बार सत्ता हम लाकर देंगे इस चक्कर में केडर और कास्ट (जाति) को इतना नाराज कर दिया गया कि भाजपा के अपने सदस्यों ने पार्टी को वोट नहीं दिया। वनवासी कल्याण आश्रम के साथ जुड़े स्वंय सेवको ने चौकाने वाली जानकारी संघ के दल को दी है जिसमें आदिवासियों की जमीन को लेकर विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव का ही नतीजा था झारंखड से लगे जशपुर जिले में पत्थलगढ़ी जैसा आन्दोलन शुरू हुआ जिसे सरकार ने ठीक से हेंडल करने के बजाय कुचलने की कोशिश की । हालाकि इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया था लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।

आज बेबाक

फारूक अबदुल्ला के खिलाफ सरकार कार्यवाही करने से डर क्यों रही है? वह सिर्फ सांसद है कोई तोप तो नहीं। हमेशा मुंह से मैला उगलने वाले इस ठरकी ने देश विरोधी बयान दिया है। उसका कहना है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए चीन से मदद मिल सकती है। यही नहीं बल्कि उसने 370 के खत्मे का समर्थन करने वालों को गद्दार भी कहा है। कुछ आस्तीन के सांपों को छोड़कर सारा देश कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले 370 के खत्मे का समर्थन कर रहा है। देशवासियों को गद्दार कहने वाले फारूक अबदुल्ला पर तत्काल देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए।

छत्तीसगढ़ में शहरी विकास की नई शुरूआत

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में गठित की नई सरकार द्वारा लगभग पौने दो वर्षो में नगरीय विकास के क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयासों से प्रदेश में शहरों के विकास की एक नई शुरूआत हुई है। स्वच्छता के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अव्वल राज्य बना, वहीं राज्य सरकार ने शहरी गरीब परिवारों को काबिज भूमि का पट्टा देने और बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए 'राजीव गांधी आश्रय योजना', 'मोर जमीन मोर मकान' जैसी अभिनव योजनाएं प्रारंभ की। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी बड़ी संख्या में आवास पूर्ण किए गए हैं। बुनियादी सुविधाओं के विकास से नागरिकों को अनेक सहूलियतें मिली हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, जन शिकायतों के त्वरित निदान के लिए वार्ड कार्यालय जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।

भारत सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्य 2017 में छत्तीसगढ़ को कोई स्थान नहीं मिला था। वर्ष 2018 में तृतीय स्थान मिला। नरुवा, गरूवा, घुरुवा अऊ बाड़ी के समावेश पश्चात 2019 एवं 2020 में छत्तीसगढ़ देश का स्वच्छतम राज्य बना। पाटन नगर पंचायत अपनी श्रेणी में देश का स्वच्छतम शहर घोषित किया गया।

नई सरकार ने लोकहित में लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

- स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ बना देश का स्वच्छतम राज्य
- प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए 70 हजार आवास
- भूमिहीन लोगों को काबिज जमीन का पट्टा देने 'राजीव आश्रय योजना' प्रारंभ
- दो लाख शहरी गरीब परिवार होंगे लाभान्वित
- 'मोर जमीन मोर मकान' योजना में 2.5 लाख तक वित्तीय सहायता
- प्रदेश के 14 नगर निगमों के 861 स्लम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ

इसी प्रकार राष्ट्रीय शहरी आजिविका मिशन के तहत गठित क्षेत्र स्तरीय संगठनों, शहर स्तरीय संगठनों को भारत सरकार ने स्वच्छता एक्सेलेंस अवॉर्ड श्रेणी अंतर्गत नगर पालिक निगम, रायगढ़ के उजाला क्षेत्र स्तरीय संगठन एवं नगर पालिक निगम, अंबिकापुर के स्वच्छ अंबिकापुर मिशन सहकारी समिति मर्यादित को प्रथम पुरस्कार और नगर पालिका परिषद्, सरायपाली के स्वच्छ सरायपाली महिला क्षेत्रीय संगठन को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ■ शेष पृष्ठ 6 पर

देश में छत्तीसगढ़ के विद्युत गृहों की धूम
कोविड-19 को पछाड़ते रचा सर्वाधिक पीएलएफ का कीर्तिमान

रायपुर (नव प्रदेश)। भारत सरकार के अधीन कार्यरत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के माह सितम्बर 2020 के प्रतिवेदन अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के ताप विद्युत गृहों ने सर्वाधिक विद्युत उत्पादन का कीर्तिमान रचते हुए एक बार फिर देशभर में प्रथम होने का गौरव प्राप्त किया है। माह सितम्बर में कंपनी के विद्युत गृहों ने 70.51 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) दर्ज किया है, जो कि देशभर के 33 स्टेट पावर सेक्टर के ताप विद्युत गृहों द्वारा अर्जित पी.एल.एफ की तुलना में सर्वाधिक है। कोरोना वायरस के संक्रमण काल में भी चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगातार माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में विद्युत गृहों द्वारा प्रदर्शित राष्ट्रीय स्तर की ऐसी उत्कृष्ट कार्य निष्पति को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अत्यन्त सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी उपलब्धियॉं माहमारी के दौर में जन-मन के भीतर नये उत्साह का संचार करती है। इस हेतु पॉवर कंपनीज के चेयरमेन सुब्रत साहू, उत्पादन कंपनी के एमडी एनके बिजौरा सहित उनकी टीम को अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए बधाई दी ।

जन-मन में उत्साह का संचार करती है ऐसी उपलब्धि -सीएम भूपेश बघेल

सीएम ने छग उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को लिखा पत्र
यौन अपराधों का जिलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनवाई का किया अनुरोध

रायपुर (नव प्रदेश)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्र मेनन को पत्र लिखकर सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई हेतु सभी जिलों में आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इसके लिए राज्य शासन की ओर से समस्त आवश्यक सहयोग देने की सहमति दी है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि देश में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध यौन अपराध गंभीर चिंता का विषय है। यद्यपि उक्त विषय पर पर्याप्त कानून बने हैं, परंतु उसके बावजूद उपरोक्त प्रकार के अपराधों में कमी होते नहीं दिख रही है तथा समय पर न्याय नहीं मिलना भी एक चिंता का विषय है। राज्य के न्यायालयों में महिलाओं एवं बच्चों के विरूद्ध हुए यौन अपराधों के मामलों में शीघ्र व तत्परतापूर्वक विचारण की आवश्यकता है तथा हमारा यह दायित्व है, कि यौन अपराधों के पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले और दोषी अतिशीघ्र कठोर दण्ड से दंडित हों। श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि यह उचित होगा कि ■ शेष पृष्ठ 6 पर

लश्कर का टॉप कमांडर ढेर

श्रीनगर ए.। जम्मू-कश्मीर में इन दिनों आतंकवादी जान बचाने को भागते फिर रहे हैं। सुरक्षाबलों ने श्रीनगर मुठभेड़ में सोमवार को दो और आतंकवादियों को मार गिराया। इनमें लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सैफुल्लाह दनयाली भी शामिल है जो पाकिस्तान का रहने वाला है। मारा गया दूसरा आतंकवादी इरशाद पुलवामा का रहने वाला है। जम्मू-कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि पिछले पांच दिनों में हुए चार ऑपरेशन में 10 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और 1 ने सरेंडर कर दिया। श्रीनगर के ओल्ड बरजुल्ला इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में दोनों आतंकवादी मारे गए। डीजीपी ने बताया कि इस साल 75 सफल ऑपरेशन में 180 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके अलावा 138 आतंकवादी और उनके सहयोगी दबोचे गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल ऑपरेशनों की सफलता ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से एक तरफ राज्य में आतंकवादी संगठनों में भर्तियों में कमी आई है तो दूसरी तरफ सेना ने सीमा पार से होने वाले घुसपैठ पर काफी हद तक लगाम लगा दिया है।

खास- खबर
पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल

स्टॉकहोम (वार्ता)। अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त रूप से वर्ष 2020 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। रॉयल स्वीडिश अकैडमी ऑफसाइंसेज ने सोमवार को एक वक्तव्य जारी कर इस पुरस्कार की घोषणा की। इस बार यह पुरस्कार नीलामी के सिद्धांत और नये नीलामी प्रारूपों के आविष्कारों में सुधार के क्षेत्र में काम के लिए दिया गया है। अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन अमेरिका के प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं।

शेयर बाजार

- संसेक्स- 40593.80
- निफ्टी- 11930.95
- गोल्ड- 51050 (10 ग्रा.)
- सिल्वर- 62874 (1 कि ग्रा.)

मोदी ने राजमाता सिंधिया की जन्मशती पर जारी किया 100 रु. का स्मारक सिक्का

नई दिल्ली (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजमाता विजयाराजे सिंधिया की जन्मशती के

अवसर पर आज 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। प्रधानमंत्री ने स्मारक सिक्का जारी करते हुए राजमाता के साथ रथयात्रा और एकता यात्रा के दौरान के अपने अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने कहा,ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे राजमाता की स्मृति में यह विशेष स्मारक सिक्का जारी करने का अवसर मिला है। कोरोना के कारण भले ही यह कार्यक्रम भव्य नहीं है लेकिन यह दिव्य जरूर है। पिछली शताब्दी में देश को दिशा देने वाले चंद लोगों में राजमाता भी शामिल थीं। वह सिर्फ वात्सल्य की मूर्ति नहीं थीं, बल्कि वह एक निर्णायक नेता थीं और कुशल प्रशासक थीं।

खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 7.34 प्रतिशत पर

नई दिल्ली (वार्ता)। साग-सब्जी, माँस-मछली और दालों सहित अन्य खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से सितंबर 2020 में खुदरा मूल्यों पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति की दर 7.34 प्रतिशत दर्ज की गयी है। सरकार के सोमवार को जारी आँकड़ों के अनुसार इससे पिछले महीने अगस्त 2020 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर 6.69 प्रतिशत रही थी। सितंबर 2019 में यह आँकड़ा 3.99 प्रतिशत था। आँकडों में कहा गया है कि खाद्य पदार्थों की महँगाई दर 10.68 प्रतिश रही है जबकि अगस्त 2020 में यह 9.05 प्रतिशत थी।

औद्योगिक उत्पादन में अगस्त में भारी गिरावट

खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में आई जबरदस्त सुस्ती के कारण अगस्त 2020 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में आठ प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सोमवार को यहां जारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले साल अगस्त की तुलना में इस साल अगस्त में खनन क्षेत्र में 9.8 प्रतिशत और विनिर्माण में 8.5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। बिजली क्षेत्र में भी 1.8 फीसदी की गिरावट रही।

अभिनेत्री खुश्बू भाजपा में शामिल

नई दिल्ली (वार्ता)। दक्षिण भारत की जानी मानी सिने अभिनेत्री खुश्बू सुंदर ने सोमवार को भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा के महासचिव सीटी रवि और तमिलनाडु प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एल. मुरुगन ने सुश्री खुश्बू सुंदर को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर उनका पार्टी में स्वागत किया। उनके साथ ही तमिलनाडु के जाने माने राजनीतिक पत्रकार मदन रविचंद्रन और भारतीय राजस्व सेवा के पूर्व अधिकारी सर्वनन कुमारन ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की।

ढाबा से अपहृत किशोर नागपुर से बरामद

राजनांदगाँव। सोमनी देवादा के ढाबा से कारोबारी का अपहृत बेटर नागपुर में सुरक्षित मिल गया है। पुलिस ने किशोर को अपने कब्जे में लेकर राजनांदगाँव लायी। प्रारंभिक पूछताछ के बाद बालक को परिजनों के हवाले कर दिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों की तह तक पहुँच चुके हैं शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी की जायेगी। पुलिस की पहली प्राथमिकता थी कि, अपहृत बच्चे को सुरक्षित छुड़ाया जाये। वहीं सूत्रों का कहना है कि, बालक नागपुर से बस में बैठकर राजनांदगाँव आ रहा था, साकोली में पुलिस ने बालक को अपने कब्जे में ले लिया। दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि, पुलिस ने बच्चे को नागपुर से बरामद कर लिया है। पुलिस के अनुसार अवैध शराब व आईपीएल सट्टा की लेनदारी को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार तड़के गुरप्रीत सेठी को अपहरणकर्ताओं ने नागपुर में छोड़ दिया और वहाँ से फरार हो गए। अपहरणकर्ताओं की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है।

चर्चा केन्द्र सरकार के नए कृषि कानूनों से छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों की रक्षा हरहाल में की जाएगी

गरीबों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनेगा नया कानून

■ पांच सदस्यीय मंत्रियों की हाई पावर कमेटी की बैठक सम्पन्न

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। केन्द्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि सुधार और श्रम कानूनों पर सोमवार को कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय हाईपावर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केन्द्र सरकार के द्वारा लाए गए कानूनों से छत्तीसगढ़ के किसानों गरीबों, मजदूरों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभावों और हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है। इस संबंध में गहन विचार-विमर्श हुआ।

हाईपावर कमेटी में केन्द्र सरकार के द्वारा लाए गए नए कानूनों से छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों की रक्षा के लिए विधानसभा के माध्यम से कानून बनाने पर भी प्रारंभिक चर्चा हुई। हाई पावर कमेटी के सदस्यों ने विचार विमर्श में कहा ■ शेष पृष्ठ 6 पर

कृषि कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का: मंत्री चौबे

कृषि मंत्री ने कहा कि संविधान में कृषि राज्य सरकार का विषय है। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में किसानों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार निरंतर कदम उठा रही है। किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। श्री चौबे ने कहा कि केन्द्र के कृषि कानून से यदि प्रदेश की धान खरीदी व्यवस्था प्रभावित होती है तो नया कानून बनाकर किसानों के धान खरीदने की व्यवस्था की जाएगी।

कृषि सुधार कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में संसद में पारित तीन कृषि सुधार कानूनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं पर केंद्र सरकार को सोमवार को नोटिस जारी किया।

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने तीन रिट याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। न्यायालय ने जवाब के लिए केंद्र को छह सप्ताह का समय दिया है। याचिका दायर करने वालों में द्रविड़ मुनेत्र कषगम सांसद तिरुचि शिवा, वकील मनोहर लाल शर्मा और छग किसान कांग्रेस के पदाधिकारी (राकेश वैष्णव एवं अन्य) शामिल हैं। ■ शेष पृष्ठ 6 पर

छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस की दलील

इसी बीच छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस की ओर से पेश वकील के. परमेश्वर ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इन केंद्रीय कानूनों के कारण मंडी प्रणाली संबंधी छत्तीसगढ़ सरकर का कानून समाप्त हो गया है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने उन्हें संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी, लेकिन श्री परमेश्वर ने कहा कि एक ही मसले पर अलग अलग उच्च न्यायालय के भिन्न-भिन्न आदेशों से समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद न्यायमूर्ति बोबडे ने एटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल से कहा कि केंद्र को चाहे शीर्ष अदालत में या उच्च न्यायालयों जवाब तो दाखिल करना ही पड़ेगा। इस पर श्री वेणुगोपाल ने कहा कि वह छह सप्ताह के भीतर शीर्ष अदालत में जवाब दाखिल कर देंगे।

न्यूज गैलरी

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रहे है जागरूक

कुम्हारी। एक ओर जहां कोरोना के महामारी से पूरा प्रदेश त्रस्त है ऐसे में कुछ योद्धा लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। निकटवर्ती ग्राम बटंग में आगंन बाडी कार्यकर्ता कविता वर्मा के नेतृत्व में कोरोना के लिए लोगों को जागृत कर कोरोना से बचाव के लिए एहतियात बरतने लोगों को समझाया जा रहा है। वे अपने सहयोगियों के साथ गांव का भ्रमण कर जानकारी देते हैं।

निगम टीम कर रही है चालानी कार्यवाही

भिलाई। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोके जाने हेतु घर से बाहर निकलने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क लगाना तथा सोशल डिस्टेंस का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना है। सार्वजनिक स्थानों में मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ भिलाई निगम प्रशासन सख्त कार्यवाही कर रहा हैए निगमायुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने ऐसे लोगों के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज जोन के राजस्व विभाग की टीम द्वारा 11 लोगों से 11 सौ का अर्थदंड वसूला गया। निगम के सभी जोन के स्वास्थ्य व राजस्व विभाग की टीम सार्वजनिक स्थान पर मास्क या गमछा से मुंह को कवर किए बिना निकलने वाले व्यक्तियों पर अर्थदंड की कार्यवाही कर रही है। निगम की टीम बाजार क्षेत्रए दुकानों व ग्राहकों का निरंतर निरीक्षण कर रहे है।

परिजनों ने जवान बेटे-बेटी की कर दी हत्या, एक दूसरे से करते थे मोहब्बत

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। एक दूसरे से बेइंतिहा मोहब्बत करने वाले युवक-युवती को उसी के परिजनों ने जहर देकर मार डाला और नदी किनारे ले जाकर दोनों को जला दिया। यही नहीं, परिजन अपने ही जवान बेटा-बेटी की हत्या के बाद अपना सिर भी मुंडवा लिए। प्रेमी-प्रेमिका एक-दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। लेकिन यह उनके परिजनों को कबूल नहीं था। इसलिए वे घर छोड़कर अपनी नई जिंदगी की शुरूआत करने भागकर चेन्नई चले गये थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहाँ से पकड़कर ले आई और उसके परिजनों के हवाले कर दिया और अंततः परिजनों ने दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहाँ से उन्हें भेज दिया ÷या है।

मामला सुपेला थाना क्षेत्र के कृष्णा न÷र पीली मिट्टी चौक का है। श्रीहरी कोप्पल 26 साल और ऐश्वर्या कोप्पल 23 साल, दोनों रिश्ते में सगे चचेरे भाई-बहन हैं। दोनों का घर आसपास है, बचपन से दोनों एक साथ पले-बढ़े हैं। बड़े होते तक दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों का प्रेम ऐसा परवान चढ़ा कि, दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन परिजनों को उनका यह प्रेम कबूल नहीं था। ऐसे में दोनों ने फैसला किया कि, वे घर परिवार से दूर अपना नया घर बसाएंगे। दोनों 21 सितंबर को घर से भाग गए और सबसे दूर अपनी नई जिंदगी की शुरूआत करने का सपना संजोए चेन्नई पहुँच गए। लेकिन इधर परिजनों ने सुपेला थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। पुलिस भी इतनी एक्टिव थी कि, प्रेमी जोड़े को चेन्नई से खोजकर भिलाई ले आई और नियम के तहत परिजनों के हवाले कर दिया। दो दिन पहले ही पुलिस ने प्रेमी जोड़े को परिजनों के हवाले किया और शनिवार की रात ही परिवार वालों ने ही दोनों को जहर देकर मार डाला। यही नहीं, मारने के बाद लाश को जेवरा सिरसा क्षेत्र में नदी किनारे जला दिए। रविवार की सुबह युवक-युवती के पिता अपना सिर भी मुंडवा लिए।

हत्या और फिर जला दी लाश

पुलिस ने बताया कि, युवती के भाई चरण कुप्पल और चाचा रामू ने हत्या की है। परिजनों ने दोनों को समझाया और अलग करना चाहा। लेकिन वे नहीं माने और शादी करने की जिद पर अड़े रहें। तब शनिवार की रात तेज आवाज में टीवी चालू कर पहले युवक-युवती को जबरदस्ती जहर पिलाई और हत्या करने के बाद सुबह-सुबह कार में डालकर लाश को शिवनाथ नदी किनारे ले जाकर जला दिए। लाश पूरी तरह से जल गई है। पुलिस ने अवशेष बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने आज मेमोरेण्डम के आधार पर आरोपियों द्वारा घटना में प्रयुक्त कार को कुरूद गाँव में दुर्गा पंडाल के पास से जप्त किया। कार की तलाशी लेने पर उसमें एक चाँदी की पायल मिली जो ऐश्वर्या का बताया गया। आरोपियों ने जिस दुकान से जहर खरीदा था वह भी तस्दीक करने पर 270 रू. में दो कीटनाशक खरीदना पाया गया।

फिर पता चला लाश का

पुलिस को लाश को जलाने की खबर नहीं थी। आरोपियों ने बताया कि, जेवरा सिरसा थाना क्षेत्र में लाश जलाए हैं। पुलिस आरोपियों के बताए अनुसार तसदीक करने पहुंची तो सच में दो लाश जली मिली। फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि, एक युवक और दूसरी लाश युवती की है। जिसे आरोपियों ने श्रीहरी और एश्वर्या की लाश बताई है। पुलिस ने आरोपी चरण और रामू के खिलाफ धारा 302, 328, 201 और 120बी, 34 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमाण्ड पर जेल भेज दिया है।

क्वालिटी चैप्टर कन्वेंशन में बीएसपी का नया रिकॉर्ड

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। इस्पात संयंत्र ने कोरोना संकटकाल में भी अपनी सृजनशीलता को नई उड़ान देने में कामयाबी हासिल की है क्वालिटी कंसेप्ट्स के चैप्टर कन्वेंशन प्रतियोगिता में गोल्ड अवार्ड जीतने का एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इण्डिया (क्यूसीएफआई) भिलाई चैप्टर द्वारा आयोजित चैप्टर कन्वेंशन-2020 के प्रतियोगिता परिणाम घोषित किए गए। इस क्वालिटी कंसेप्ट्स प्रतियोगिता में सेल-बीएसपी की 61 टीमों ने भाग लिया जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड है।

इस प्रतियोगिता में 61 टीमों ने अपने-अपने विभागों में किए गए सृजनशील कार्यों पर केस स्टडी लिखकर जमा किया। इन केस स्टडीज का मूल्यांकन विशेषज्ञ जजों के माध्यम से कराया गया। कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष भिलाई चैप्टर ने प्रत्यक्ष प्रस्तुतियाँ पर रोक लगा दी थी।

अतः इस वर्ष लिखित प्रस्तुत केस स्टडियों का मूल्यांकन कर सीधे परिणाम की घोषणा की गई। सेल-बीएसपी की टीमों ने अपना परचम लहराते हुए 55 टीमों ने गोल्ड अवार्ड और 6 टीमों ने सिल्वर अवार्ड प्राप्त कर भिलाई का नाम रोशन किया है। इस प्रकार बीएसपी की टीमों ने कुल 55 गोल्ड अवार्ड जीतकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। बीएसपी टीमों ने प्रतियोगिता के प्रत्येक वर्ग में भाग लिया। सभी वर्गों में गोल्ड अवार्ड जीतकर अपने इनोवेशन की धमक दिखाई। प्रतियोगिताओं में क्वालिटी सर्कल, 5-एस सिस्टम तथा लीन क्वालिटी सर्कल के तहत तीन वर्गों में आयोजित की जाती है। यह पहली बार हुआ है कि बिजनेस एक्सीलेंस विभाग बीई विभाग के मार्गदर्शन में बीएसपी की टीमों ने तीनों वर्गों में अपनी भागीदारी देकर अपनी उत्कृष्टता सिद्ध की है।

कलेक्टर के निर्देश से भूमाफिया में हड़कंप

पटरीपार एरिया और बोरसी में कई जगह हो रही है अवैध प्लाटिंग

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के अवैध प्लाटिंग को लेकर ताजा फरमान के बाद भूमाफिया में हड़कंप है। बता दें कि शहर के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में जोरशोर से अवैध प्लाटिंग हो रही है। अफसरों के संरक्षण में हो रहे अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई न होने या साल में एकाध बार कार्रवाई होने से भूमाफिया के हौसले बुलंद हैं। पटरीपार एरिया में धमधा रोड के दोनों ओर जमकर अवैध प्लाटिंग चल रही है। अवैध प्लाटिंग करने वाले एक भूमाफिया ने अफसरों पर रौब डालने के लिए भिलाई के सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं का सहारा लिया है। जिले के एक विधायक के करीबी भिलाई के छात्र नेता के साथ जगह जगह होर्डिंग लगाकर इस भूमाफिया ने यह प्रभाव बनाने की कोशिश की है कि उसका काफी रसूख है।

अवैध प्लाटिंग के मामलों को लेकर जेल तक जा चुके इस भूमाफिया के अलावा कई अन्य भूमाफिया भी इस इलाके में सक्रिय हैं। बोरसी एरिया में भी एक भाजपा नेता के संरक्षण में उसके भाई द्वारा काफी समय से अवैध प्लाटिंग की जा रही है। राजनीतिक दलों के नेताओं का संरक्षण होने के कारण जिला प्रशासन के अफसर कार्रवाई नहीं करते। नगर निगम के अफसरों को अवैध प्लाटिंग की सूचना सबसे पहले मिलती है।

सूचना मिलने पर भूमाफिया को नोटिस जारी की जाती है। दफ्तर बुलाकर सब कुछ तय किया जाता है। इसके बाद नोटिस वाली । फाइल बंद कर दी जाती है। अवैध प्लाटिंग का यह धंधा पिछले 20 साल से चल रहा है। कलेक्टर के फरमान के बाद इन भूमाफियाओं में हड़कंप है। देखना यह है कि कलेक्टर के फरमान पर कितनी जगहों पर कार्रवाई होती है।

ऑनलाइन स्पर्धा मे प्रतिभागियों का सम्मान

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह ऑनलाइन स्पर्धा मे भाग लिए प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर समापन किया। समापन हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी दुर्ग वनमण्डल में 2 से 8 अक्टूबर वन्यप्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया। जिसके अन्तर्गत 5 अक्टूबर 2020 को क्वीज प्रतियोगिता एवं 06 को चित्रकला प्रतियोगिता रखी गयी थी। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रतियोगिता को ऑनलाइन के माध्यम से संचालित की गई। बच्चों के द्वारा बनाये गये चित्रों का सभा कक्ष में प्रदर्शिनी लगाई। जिसे वन मण्डलाधिकारी केआर बढ़ाई एवं अभय पाण्डेय ने काफी सराहना की। इन प्रतियोगिता का परिणाम वनमण्डल के सभागार कक्ष में विशेष निर्णयको के नेतृत्व में जारी कर छात्र.छात्राओं को पुरूस्कृत किया गया। क्वीज प्रतियोगिता में प्रथम प्रत्याशा गुप्ता, द्वितीय पीहुल सोनबोइर, तृतीय हर्षीता ठाकुर रहे। चित्रकला प्रतियोगिता में कक्षा पहली से पांचवी स्तर पर प्रथम प्रत्याशा गुप्ता श्री शंकरा भिलाई, द्वितीय सुहानी अग्रवाल डीपीएस भिलाई, तृतीय पलक बीएसपी स्कूल से.2 रही। नवमी मे प्रथम जिज्ञासा गुप्ता , द्वितीय ईतिस राय डीएवी पब्लिक स्कूल हुडको तृतीय पूर्वी ओझा रही।

आवास आबंटन में दिव्यांगजनों को मिला ग्राउण्ड फ्लोर

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। ठगड़ाबांध के करीब 98 निवासियों को आज विवेकानंद सभा भवन महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा लॉटरी निकालकर प्रधानमंत्री आवास का आबंटन किया गया। बोरसी के प्रधानमंत्री आवास में ठगड़ाबांध के तीन दिव्यांग और चार एकल महिलाओं को नीचे का आवास आबंटित किया गया है। आवास आबंटन लॉटरी के दौरान निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन, लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, वित प्रभारी दीपक साहू, शिक्षा प्रभारी मनदीप सिंह भाटिया, पार्षद विजयेन्द्र भारद्वाज, कार्यापालन अभियंता

राजेश पाण्डेय, सहा. अभियंता जितेन्द्र समैया, उपअभियंता आरके जैन, पीएम आवास के सूडा सिविल इंजीनियर अभिषेक मिश्रा तथा सामाजिक विकास विशेषज्ञ आशुतोष ताम्रकार उपस्थित थे। लॉटरी से आवास आबंटन कार्यक्रम का कुशल संचालन आशुतोष ताम्रकार द्वारा किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया साथ ही हितग्राहियों को सेनीटाईज किया गया। सभी हितग्राही मास्क लगाकर लॉटरी कार्यक्रम में उपस्थित हुये थे। इस संबंध में महापौर श्री बाकलीवाल ने बताया कि ठगड़ाबांध सौदर्यीकरण प्रस्तावित कार्य के तहत् वाटरबाडी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को आवास का आबंटन किया जाना है। इसके अंतर्गत आज पंजीयन राशि जमा करने वाले 198 हितग्राहियों को लॉटरी निकालकर आवास का आबंटन किया गया है। बोरसी के गलैक्सी में यह हितग्राही सर्वसुविधायुक्त आवास में रहेगें। उन्होनें बताया इसके पूर्व 31 मई 2018 को ठगड़ाबांध के ही 88 निवासियों को गलैक्सी में ही आवास का आबंटन किया। आयुक्त बर्मन ने बताया थगड़ा बांध निवासियों को आज आवास का आबंटन किया गया है।

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-74/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक भुवनलाल पिता महराजी निवासी बोरई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम बोरई प.ह.नं. 03 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 153/4, 153/6, 337/1 रकबा 0.1900, 0.1400, 0.0100 हे. भूमि प्राप्त ऋण पुस्तिका गुम हो जाने के कारण द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका बाबत् आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 22.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 05.10.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग अण्डा जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी- राजस्व

मा. क्रं. 20201010120047

विषय:-अ-6 सन् 2020-21

चंगोरी प.ह.न. 00030 हें0)

पक्षकारों का वितरण -आवेदक पक्षकार - यशवंत कुमार कंवर

अनावेदक पक्षकार-

ईश्तहार

आवेदक यशवंत कुमार कंवर पिता स्व. छन्नूलाल कंवर ग्राम चंगोरी तह व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 221/1, 895/2 रकबा 0.23, 0.06 हे. भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। छन्नूलाल कंवर पिता तिहीरु की मृत्यु दिनांक 09.09.2020 को हो चुकी है जिससे उनकी फौती दर्ज कर वारिसानों के नाम पर नामांतरण किए जाने आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 31.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 08.10.2020 को जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक यशवंत कुमार कंवर आ. स्व. छन्नूलाल कंवर साकिन चंगोरी द्वारा ग्राम थनौद प.ह.न. 28 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 0.26 रकबा 2708 वर्गफीट जो उसके स्व. छन्नूलाल पिता तिहारु के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 31.10.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

ई-कोर्ट- 20201010070055

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक गोलू कसेर पिता स्व. घनश्याम कसेर निवासी ग्राम शंकर नगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1264/6 रकबा 0.005 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार घनश्याम आ. सुकालू साव की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 27.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 20201010040295

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री कुंजेश्वर प्रसाद वर्मा आ. जोधन प्रसाद वर्मा निवासी सड़क 08 प्रगति नगर रिसाली भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 692/8 रकबा 0.0280 हें/ 3000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400038

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री रामखिलावन रावत आ. स्व. श्री रुपदास रावत निवासी सेक्टर 06 भिलाई नगर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 818/16 रकबा 0.02 हें/ 2450 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400041

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री पंकज राय आ. श्रीराम अवतार निवासी गैंदा डबरी मोहर नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम दुर्ग प.ह.न. 16/24 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1319/26 रकबा 0.024 हें/ 2640 वर्गफीट के व्यवसायिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 20201010040281

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका चांदनी सोनवानी जौ. मनीष सोनवानी निवासी करगाडीह दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम डुमरडीह प.ह.न. 41 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 567/48 रकबा 0.01 हें/ 1500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 20201010040299

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सारम्मा थामस जौ. थामस अब्राहम निवासी मिनाक्षी नगर बोरसी जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 280/32 रकबा 0.018 हें/ 2000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी-राजस्व

ईश्तहार

मा.क्रं. 202009101000106/705

विषयः अ-06 वर्ष 2020-21

कुरुद प.ह.न. 00050(1603/55(0.0100हे.)

पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार- श्रीमती जमीला खातून

अनावेदक पक्षकार- छ.ग. शासन

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती जमीला खातून पति स्व. सिराज अहमद अन्य -02 निवासी सादिया विला मैन रोड कैलाश नगर औद्योगिक क्षेत्र भिलाई द्वारा ग्राम कुरुद प.ह.न. 19 अ रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 1603/55 रकबा 0.010 हे. अर्थात 1160 वर्गफुट एवं 1603/56 रकबा 0.010 हे. जो उसके पति स्व. सिराज अहमद आ. शेख अमीर के नाम पर दर्ज है। की फौती नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय खसरा बी-1 मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि का नामांतरण किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर या दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 15.10.2020 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपनाा आपत्ति पेश कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 08.10.2020 को जारी किया गया है।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, भिलाई नगर (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

ई-कोर्ट- 20201010070056

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती गीता ठाकुर पिता/ पति स्व. शिव सिंह निवासी ग्राम तितुरडीह दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम तितुरडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 80/8 रकबा 0.0360 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार मोतिन बाई पति स्व. मंगल सिंह की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 27.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

ई-कोर्ट- 20201010070052

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक कमल लालजी सोनी पिता लालजी सोनी निवासी ग्राम शीतला मंदिर रोड तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 850/24 रकबा 0.010 हें. भूमि को विक्रेता श्रीमती सावित्री भारती पति सुनील भारती निवासी ग्राम गयानगर दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 03.09.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 208.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र.	पक्षकार का नाम	ऑनलाईन
ई-कोर्ट	श्री सोनू कुमार पाण्डेय	रजिस्ट्रेशन नं. 202008100400821

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सोनू कुमार पाण्डेय आ. श्री वशिष्ठ पाण्डेय निवासी ग्राम रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	678/13	0.022 हें 2480 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र.	पक्षकार का नाम	ऑनलाईन
ई-कोर्ट	श्री शशि शेखर वैष्णव	रजिस्ट्रेशन नं. 202008100400820

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री शशि शेखर वैष्णव आ. श्री चेलादास वैष्णव निवासी ग्राम रिसाली भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59(2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह.व जिला दुर्ग	678/4	0.020 हें 2229.5 वर्गफीट	आवासीय

अतएव उपरोक्त वर्णित आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति, संस्था, शासकीय विभाग, सार्वजनिक या अर्धसार्वजनिक उपक्रम को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वे इस उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर अपनी लिखित आपत्ति/दावा स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत कालावधि के बाद प्राप्त आपत्ति/दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 27.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की पदमुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

ईश्तहार

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग रा.प्र.क्र. 554 वर्ष... आदेश दिनांक 17.08.2020 के अनुसार ग्राम दुर्ग प.ह.न. 24 तहसील व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 1314/409 रकबा 0.023 हे. आवेदक अतुलचन्द्र तिवारी पिता प्रहलाद प्रसाद तिवारी निवासी पद्मनाभपुर दुर्ग के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज है जिसका सीमांकन दिनांक 20.10.2020 को किया जाना है। अतः आवेदिक भूमि से लगे भूमिस्वामी तथा आवेदित भूमि से हितबद्ध व्यक्ति सीमांकन दिनांक 20.10.2020 समय 12.00 बजे दोपहर को आवेदित स्थल पर अपनी भूमि से संबंधित दस्तावेज सहित उपस्थित रहे।

मुहर — राजस्व निरीक्षक, दुर्ग जिला दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

ई-कोर्ट- 20201010070065

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका अंकिता प्रजापति अन्य 1 पति गौरीशंकर प्रजापति निवासी ग्राम करंजिया तहसील व जिला डिडोरी के द्वारा ग्राम तितुरडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 2/43 रकबा 0.0160 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार सीता बाई पति रेवालाल सिन्हा की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 28.10.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 08.10.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 20201010040278

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती पूर्णिमा साहू जौ. मोतीलाल साहू निवासी बोरसी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 52/35 रकबा 0.015 हें/ 1650 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यूज गैलरी

ऑनलाईन कार बेचने का झांसा देकर खाते 97 हजार की ठगी

रायपुर। ऑनलाईन कार बेचने का झांसा देकर खाते से 97 हजार रुपयें जमा करा लेने की रिपोर्ट नेवरा थाने में दर्ज की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वृदावन कालोनी तिल्दा निवासी सूर्याप्रताप सिंह 31 वर्ष पिता विश्वनाथ सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी के मोबाईल नंबर 8982989689 पर 19 मार्च 2020 को मोबाईल नं 9728242127 मे काल कर स्वयं को एक व्यक्ति ने फौज में नौकरी करना तथा उसके नाम पर रजिस्टर्ड स्वीफ्ट वीडीआई कार क्रमांक सीजी 10 ईएन 3330 है को बेचना चाहता है बताने पर प्रार्थी ने उसका एड्रेस पुछा तो कार राजस्थान में है उसे 1,20,000 रूपये बेचने कहने पर सौदा तय होने के बाद व्हाट्सअप नं 8982989689 में कार का आरसी बुक एवं स्वयं का कैंटीन कार्ड भेजा तथा कहा कि यदि वाहन कार को छत्तीसगढ भेजना है,तब अग्रिम राशि के रूप मे 10,000 रूपये पेटीएम खाता क्रमांक 919728529041 में भेजने को कहा। जिसके बाद प्रार्थी ने अपने खाते में 3,500 रूपये होना बताकर गुगल पे से खाते में भेज दिया। बाद में आरोपी ने कार बुक कराने का रसीद वाट्सप पर भेजा। इसके बाद पुनःजीपीएस का हवाला देकर 10,000 रूपयें भेजने को कहा जिसके बाद एसबीआई कार्ड नं 4377487817668847 से उसके पेटीएम नं 919728529041 मे 10,000 रूपये भेज दिया। इसके बाद दिनांक 20/03/2020 को दूसरे मोबाईल नं 9756240378 से काल कर पुनःजीपीएस का हवाला देकर दूसरा पेटीएम नं 919992696055 मे 43,000 रूपये भेजने को कहा इस तरह से आरोपी ने अलग-अलग कर कई बार में बहाना बनाकर पीड़ित से कुल 97,000 रूपये आनलाईन रूपये जमा कराकर धोखाधडी किया है।

प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ दो गिरफ्तार

रायपुर। प्रतिबंधित कफ सिरप रखने की सूचना पर पुलिस ने घर में छापामार कर रेड की कार्रवाही के दौरान बड़ी मात्रा में कफ सिरप के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। लाभाण्डी तेलीबांधा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बीती रात लाभाण्डी प्रधानमंत्री आवास में प्रतिबंधित कफ सिरफ रखने की सूचना पर छापाकर कर रेड के दौरान 100 एमएल कफ सिरप 6 कॉर्टून में भरा मिला। कार्टून खोलकर गिनती करने से 69 नग प्लास्टिक शीशी में प्रतिबंधित मनोत्तेजक एवं स्वापक औषधी सिरप के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है।

सीएस मंडल ने कोविड कॉल सेंटर से जाना मरीजों का हालचाल

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष कुलदीप जुनेजा, महापौर एजाज ढेबर भी थे साथ

मुख्य सचिव ने कॉल सेंटर की सराहना कर रायपुर जिला प्रशासन को दी शाबाशी

रायपुर (नव प्रदेश)। मुख्य सचिव आर.पी. मंडल ने सोमवार को रायपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित बहुद्देश्यीय एकीकृत कोविड-19 कॉल सेंटर से दूरभाष पर सीधे बातचीत कर कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज से सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली। मुख्य सचिव श्री.आर.पी. मंडल ने कॉल सेंटर के जरिए रायगढ़ जिले के सरपंच को भी फोन कर उनके गांव में कोरोना मरीजों की संख्या व उनके उपचार के किये गए प्रबंधों से अवगत हुए। इस कोविड कॉल सेंटर द्वारा कोरोना मरीजों को सुविधा प्रदान करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, नगर निगम कमिश्नर श्री सौरभ कुमार, इस कॉल सेंटर के नोडल अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह सहित पूरी टीम को शाबाशी दी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, महापौर श्री एजाज ढेबर, कलेक्टर डॉ.एस. भारतीदासन,नगर निगम कमिश्नर श्री सौरभ कुमार, सीईओ जिला पंचायत डॉ. गौरव कुमार सिंह भी इस दौरान उनके साथ थे।

कोविड कॉल सेंटर पहुंचे मुख्य सचिव श्री आरपी मंडल को नोडल अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह ने इस सेंटर के जरिए मरीजों की देखभाल व उनकी सहायता के लिए उपलब्ध सभी सुविधाओं और कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर से कोविड अस्पताल, कोविड केयर सेंटर और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों से दूरभाष के जरिए नियमित संपर्क स्थापित कर उनकी हर जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।रायपुर जिले के आपातकालीन सहायता व नियंत्रण कक्ष से जुड़ा यह कॉल सेंटर मरीजों को दवा, चिकित्सा, एंबुलेंस जैसी सुविधाओं के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूती दे रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में रायपुर नगर निगम, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने हर जरूरी सुविधाओं से लैस यह कॉल सेंटर तैयार किया,जिसका संचालन स्वयंसेवी संस्था समर्थ चेरिटेबल ट्रस्ट और वी द पीपल के वालंटियर कर रहे हैं। यह टीम सोशल मीडिया के जरिए भी आम नागरिकों से कोरोना से बचाव के लिए जागरूक करने व्यापक अभियान भी संचालित कर रही है। मुख्य सचिव ने इस कॉल सेंटर से माना कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीज महेंद्र साहू से बात कर उपलब्ध सुविधाओं व उनको मिल रही सेवाओं एवं उनके स्वास्थ्य के संबंध में बातचीत की। प्रदेशभर के पंचायत पदाधिकारियों से जुड़े नेटवर्क के तहत इस कॉल सेंटर से श्री मंडल ने रायगढ़ जिले के ग्राम बनसिया के सरपंच श्री मनोहर पटेल से भी उनके गांव में मरीजों की संख्या व उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेकर आपदा प्रबंधन हेतु की गई व्यवस्थाओं से अवगत हुए।

श्री मंडल ने इस कॉल सेंटर के जरिए कोरोना मरीजों को दी जा रही सुविधाओं एवं मनोवैज्ञानिक तौर पर उन्हें इस बीमारी से निपटने के लिए किये गए प्रबंधों के लिए रायपुर जिला प्रशासन की सराहना की।

भाजपा करें सांसद पर कार्यवाही, अपने शर्मनाक बयान के लिये मांगे माफी

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा के कांकेर सांसद मोहन मंडावी के बेहद आपत्तिजनक और नारी विरोधी बयान की कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। क्या जो उनको वोट नहीं देगा उस नारी का, उस बालिका की सुरक्षा की बात भाजपा और सांसद मोहन मंडावी नहीं करेंगे। यह बयान भाजपा की घटिया नारी विरोधी मानसिकता स्पष्ट उजागर करता है। नारी कहीं की भी हो, बालिका कहीं की भी हो, अगर उसके साथ अनाचार, अत्याचार होता है तो यह गंभीर बात है और उत्तरप्रदेश में शव को रातों-रात जलाया गया, इसी तरह परिवार वालों को शत तक नहीं दिया गया, जिस तरह बालिका के साथ अब उसकी सीबीआई हो रही है। इस समय सांसद जैसे जिम्मेदार पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा उसको बनावटी कहना सीधे-सीधे सीबीआई जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। भाजपा सांसद मोहन मंडावी द्वारा नारी विरोधी बयान भाजपा का नारी विरोधी चरित्र का जीताजागता सबूत है। कांग्रेस ने मांग की है कि भाजपा सांसद मोहन मंडावी पर इस बयान के लिये तत्काल कार्यवाही करें और मोहन मंडावी इस बयान के लिये माफी मांगे।

श्री त्रिवेदी ने कहा है कि आज कांग्रेस ने स्पीक फॉर हुमेन सेफ्टी का अभियान सोशल मीडिया में चलाया। आज पूरे देश में नारी सुरक्षा पर भाजपा के गैर जिम्मेदार रवैये पर गुस्सा उबल रहा है। खासकर महिला जगत आंदोलित है। भाजपा लोकसभा चुनाव में नारी सुरक्षा का वादा करके सत्ता में आई थी। लेकिन भाजपा शासित राज्य में लगातार महिलाये अत्याचार, अनाचार का शिकार हो रही है और भाजपा के राज्य सरकारों ने आरोपी को संरक्षण देने का काम किया है।

रेप जैसी घटना पर ऐसा बयान भाजपा की घटिया मानसिकता: आरपी सिंह

भाजपा सांसद के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यही स्तर है। भाजपा सांसद का गैंगरेप जैसी घटना पर बेतुका बयान उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा को तत्काल सांसद के खिलाफकार्रवाई करनी चाहिये और सांसद को अपने इस बयान के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिये।

भाजपा सांसद ने किया नारी शक्ति का अपमान : फूलोदेवी नेताम

राजनीति की रोटी सेकने के लिये बेटी के बलात्कार को भी बनावटी बताना बेहद शर्मनाक

रायपुर। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने कहा है कि हाथरस की जघन्य अपराध को सांसद मोहन मंडावी एक बनावटी घटना बताकर पूरी नारी शक्ति का

अपमान किया है। रेपिस्ट को बचाने में भाजपा के नेता लगे हुये रहते है। अपराधी और भाजपा का चोली दामन का साथ रहता है। मोहन मंडावी के बयान महिला विरोधी बयान है। इसी महिला विरोधी मानसिकता के कारण छत्तीसगढ़ में 15 साल राज करने के बाद भी 15 सीट में ही सिमट गये।

पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय ओएसडी रहे ओपी गुप्ता के द्वारा नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है और उस रेपिस्ट ओपी गुप्ता को भाजपा के नेता एवं नेत्रियां संरक्षण देने का काम करती है और बेशर्मी की हद यहां तक की होती है कि पीड़िता एवं परिवार वालों को जान से मारने की धमकी एवं सबूतों को मिटाने का प्रयास किया जाता है। फूलोदेवी नेताम ने कहा कि योगी सरकार के लचर कानून एवं अपंग स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण पीड़ित बच्ची की मृत्यु हो जाती है।

महिला कांग्रेस का पलटवार

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा है कि हाथरस कांड पर कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने अपराधी बचाव नीति को आगे बढ़ाने का काम किया है। मोहन मंडावी के बयान से स्पष्ट हो गया जो भाजपा को वोट दें वही देश में सुरक्षित रहेगा और जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसके साथ दुष्कर्म की घटनायें, अत्याचार, लूटपाट जैसे अनेक घटनाएं हो सकती है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि भाजपा के सांसद मोहन मंडावी ने देश की बेटी का विभाजन कर रहे है। मोहन मंडावी जी कहते है कि हाथरस वाले लोग वोट नहीं दिये थे हाथरस तो भारत में आता है और भारत का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। इनको तो वोट दिये थे ना, तो क्यों अपराधी को संरक्षण देने में लगे है? ऐसी बयानबाजी के लिये मोहन मंडावी को शर्म आनी चाहिए और तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिये।

शीतला तालाब का 25 लाख 37 हजार की लागत से शीघ्र होगा सौंदर्यीकरण

महापौर एजाज ढेबर एवं विधायक विकास उपाध्याय ने कार्यारंभ किया

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर के जोन 7 के तहत आने वाले रामनगर के शीतला तालाब का सौंदर्यीकरण कार्य शीघ्र 25 लाख 37 हजार रू. की स्वीकृत लागत से रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के माध्यम से होगा। नगर निगम रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर और संसदीय सचिव रायपुर पष्चिम विधायक श्री विकास उपाध्याय ने रामनगर के शीतला तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य का षिलान्यास एवं भूमिपूजन कर कार्यारंभ नगर निगम जोन 7 के जोन अध्यक्ष श्री मनीराम साहू, एमआईसी सदस्य श्री सुरेष चन्नावार, श्री जितेन्द्र अग्रवाल, रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहायक अभियंता श्री संजय वर्मा, सहित गणमान्यजनों एवं नगर निगम जोन 7 व रायपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की उपस्थिति में किया। महापौर श्री ढेबर एवं संसदीय सचिव पष्चिम विधायक श्री उपाध्याय ने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों को स्वीकृति अनुरूप तत्काल रामनगर के शीतला तालाब में सौंदर्यीकरण कार्य प्रारंभ करवाकर 6 माह की तय समय सीमा के भीतर सतत मॉनिटरिंग कर उच्च स्तरीय गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करवाना जनहित में जनसुविधा हेतु प्राथमिकता से सुनिष्चित करने के निर्देश दिये।

कलिंगा में एमबीए नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए 'फर्स्ट स्टेप-2020' का आयोजन

रायपुर। कलिंगा विश्वविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने वाले प्रबंधन विभाग में नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए इंडक्शन कार्यक्रम 'फर्स्ट स्टेप -2020' का ऑनलाईन आयोजन संपन्न हुआ। नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए आयोजित इंडक्शन कार्यक्रम के दौरान कलिंगा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधि, उपलब्ध सुविधाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की गयी। इस आयोजन में नए विद्यार्थियों के स्वागत के साथ-साथ विभिन्न मनोरंजक प्रतियोगिता, क्वीज प्रतियोगिता, गीत नृत्य एवं सांस्कृतिक एवं रचनात्मक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया।

कोरोना महामारी प्रकोप के कारण शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ-साथ सभी कार्यक्रम ऑनलाईन किए जा रहे है। इसीलिए नए विद्यार्थियों के लिए स्वागत का कार्यक्रम 'फर्स्ट स्टेप -2020' का ऑनलाईन आयोजन संपन्न हुआ। जिसमें एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाने वाले विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। 'फर्स्ट स्टेप -2020' के ऑनलाईन आयोजन के प्रथम चरण में कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉं. आर श्रीधर, महानिर्देशक डॉं. बैजू जॉन, कुलसचिव डॉं संदीप गांधी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉं. आशा अंभईकर और अकादमिक मामले के प्रमुख श्री राहुल मिश्रा की उपस्थिति में ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती वंदना करने के पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए विश्वविद्यालय सभागार में वरिष्ठ छात्रा सुश्री डी. वसावी ने स्वागत गीत और मनमोहक नृत्य का लाइव परफॉर्मेंस किया।

जागरूकता | विश्व आर्थराइटिस डे पर एम्स में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम

युवाओं पर भी असर दिखा रहा है आर्थराइटिस : नागरकर

जीवनशैली में बदलाव और भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करने का आह्वान

रायपुर। विश्व आर्थराइटिस दिवस पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर की ओर से सोमवार को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने जीवन शैली में बदलाव और पोषक तत्वों को भोजन में शामिल करने पर जोर दिया। इस अवसर पर बताया गया कि आर्थराइटिस अब बुर्जुगों के साथ युवाओं पर भी असर दिखा रहा है। ऐसे में समय पर इसका उपचार जरूरी है। एम्स के हड्डी रोग विभाग के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए निदेशक प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से आर्थराइटिस के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शरीर की कम रोग प्रतिरोधक क्षमता और आधुनिक जीवन शैली ने आर्थराइटिस को बढ़ावा दिया है। इसे दूर करने के लिए भोजन में पोषक तत्वों को संपूर्ण मात्रा लेने की आवश्यकता है। यदि यह बीमारी हो जाती है तो कई व्यायाम के माध्यम से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। विभागाध्यक्ष प्रो. आलोक अग्रवाल ने कहा कि आर्थराइटिस की शिकायत होते ही चिकित्सक से संपर्क कर इलाज शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब यह बीमारी सिर्फ उम्रदराज लोगों को नहीं बल्कि युवाओं को भी हो रही है। एक तिहाई से ज्यादा मरीज अब 65 से कम उम्र के सामने आ रहे हैं। इसके लिए जरूरी टेस्ट करवाकर समय पर इसका इलाज करवाया जा सकता है। कार्यक्रम में वित्त सलाहकार बी.के. अग्रवाल, डीन प्रो. एस.पी. धनेरिया, डॉ. केशव नागपुरे और डॉ. प्रीतम नारायण वासनिक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर एक पोस्टर प्रर्दशनी का भी उद्घाटन किया गया जिसमें दुनिया और भारत के प्रमुख हड्डी रोग विशेषज्ञों और उनके प्रमुख योगदान के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है।

सचेतन की क्रियाओं से लें जीवन में खुशी का आनंद

एम्स के वेबिनार में दिए गए टिप्स, बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने लिया भाग

रायपुर। सचेतन (माइंडफुलनेस) क्रियाओं के साथ खुद को महामारी में भी मानसिक रूप से सक्रिय रखा जा सकता है और वर्तमान समय को पूर्णतः के साथ जीकर खुशी का अहसास लिया जा सकता है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के साइकेट्री विभाग के तत्वावधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों को दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन कर जीवन का आनंद लेने की कई टिप्स दी गई। वेबिनार का उद्घाटन करते हुए निदेशक प्रो. नितिन एम. नागरकर ने इसे कोविड-19 परिस्थिति में प्रासंगिक बताया। उनका कहना था कि कोविड-19 की वजह से जीवनशैली में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए सभी वर्गों को न्यू नॉर्म्स अपनाने होंगे। वेबिनार में विभागाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार सिंह ने माइंडफुलनेस बेस्ड प्रेक्टिसिज फॉर वेलबिइंग इन एवरीडे लाइफविषय पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सचेतन का अर्थ वर्तमान को समझते हुए उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है।

खरीफ फसलों की क्षति की जानकारी शीघ्र भेजने के निर्देश

राजस्व सचिव ने कलेक्टरों को लिखा पत्र

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव तथा राहत आयुक्त सुश्री रीता शांडिल्य ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरो को पत्र जारी कर मानसून 2020 के दौरान जिलों में अतिवृष्टि तथा बाढ़ आदि कारणों से खरीफ की फसलों की क्षति की जानकारी शीघ्र निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा फसल क्षति के संबंध में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रभावित किसानों को आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

राजस्व सचिव ने कलेक्टरों को लिखे पत्र में कहा है कि अतिवृष्टि बाढ़ आदि कारणों से फसल श्रति होने पर प्रभावित कृषकों को आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए फसल क्षति का सही आंकलन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि राहत राशि का मापदण्ड निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए क्षति का प्रतिशत कृषक द्वारा यथा स्थिति फसलों के अंतर्गत बोये गए कुल क्षेत्र के आधार पर परिमाणित किया जाना है। उन्होंने कलेक्टरों से कहा है कि नियमानुसार यदि किसी कृषक ने यथास्थिति खरीफ/रबी में कोई 1 हेक्टेयर क्षेत्र बोया है और बोये समस्त क्षेत्र प्राकृतिक आपदा से 60 प्रतिशत की सीमा तक क्षतिग्रस्त हो गया, तो फसल हानि का प्रतिशत 60 प्रतिशत माना जाएगा। यदि किसी कृषक ने यथास्थिति खरीफ/रबी के दौरान 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल बोया हुआ है और उसमें से प्राकृतिक आपदा के कारण एक हेक्टेयर क्षेत्र में 50 प्रतिशत का नुकसान होकर शेष तीन हेक्टेयर क्षेत्रफल प्राकृतिक आपदा से अप्रभाति रहा है तो फसल हानि का प्रतिशत 12.50 प्रतिशत माना जाएगा।

इसी प्रकार से फसल व हानि के लिए आर्थिक अनुदान दिए जाने की आवश्यक शर्त है कि हानि का प्रतिशत 33 प्रतिशत से अधिक हो। उस स्थिति में जबकि फसल पककर तैयार नहीं भी होता है, फसल का आंकलन किया जाना नजरी आधार पर किया जाता है। इस स्थिति में त्रृटि की संभावना विद्यमान रहती है, इसलिए यह आवश्यक है कि खरीफ फसल हानि का आंकलन राजस्व एंव आपदा प्रबंधन विभाग तथा कृषि एवं कृषक कल्याणतथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए तथा 33 प्रतिशत से अधिक फसल हानि होने पर कृषक द्वारा धारित कुल रकबे में से फसल हानि के रकबे का परिमाणिक आंकलन कर यथास्थिति प्रावधानों के अनुरूप आर्थिक अनुदान राशि की गणना की जाए।

संपादकीय

फारूक अबदुल्ला का देशद्रोही बयान

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता डा फारूक अबदुल्ला जो इस समय सांसद है ने एक बार फिर देश विरोधी बयान दिया है। उन्होने एक साक्षातकार में कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए चीन की मदद मिल सकती है। यही नहीं बल्कि उन्होने यह भी कहा है कि जो लोग जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खत्मे का समर्थन कर रहे है वे सब गद्दार है। फारूक अबदुल्ला का यह बयान न सिर्फ घार निंदनीय है बल्कि यह देश विरोधी बयान है और इसके लिए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और जेल में ठूस दिया जाना चाहिए। डॉ. फारूक अबदुल्ला इसके पहले भी देश विरोधी बयानबाजी करते रहे है। उन्होने पहले जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी तब भी यह कहा था कि यदि कश्मीर से 370 को खत्म किया गया तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। उन्होने धमकी भी दी थी कि अगर 370 को हाथ लगाया गया तो कश्मीर में आग लग जाएगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ देश की संसद ने सर्व सम्मति से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्या का देने वाले अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए को खत्म कर दिया जिसका सारे देश ने स्वागत किया, सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग और चंद आस्तीन के सांपो को ही इससे तकलीफ हुई। जब से जम्मू कश्मीर में 370 को खत्म किया गया है तब से वहां विकास का नया रास्ता खुला है और आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अलगाववादी ताकतों की भी कमर टूट गई है यही वजह है कि डॉ. फारूक अबदुल्ला जैसे गद्दारों को तकलीफ हो रही है ये वही डॉ. फारूक अबदुल्ला है जहो पहले पाकिस्तान परस्त हुआ करते थे आज भी है लेकिन अब उन्होने भारत के एक और दुश्मन देश चीन की भी हिमायत करना शुरू कर दी है। समझ में नहीं आता कि डॉ फारूक अबदुल्ला के खिलाफ कार्यवाही करने से केन्द्र सरकार क्यों डर रही है। देश विरोधी बयान देने वाले ऐसे नेता की जगह संसद नहीं बल्कि जेल होने चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार फारूक अबदुल्ला पर जल्द देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हे जेल की सिखचों के पीछे भेजेगी।

विचार

क्या मुसलमान खुशहाल हैं ?

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया श्री मोहन भागवत के इस कथन पर बड़ी बहस चल रही है कि ''दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट कोई मुसलमान हैं तो भारत के मुसलमान हैं।'' यही बात किसी मुसलमान नेता या आलिम-फाजिल के मुंह से निकलती तो उसकी बात ही कुछ और होती लेकिन ऐसी बात निकले तो कैसे निकले ? यदि निकल जाती तो हमारे कई मुसलमान नेता उस पर काफिराना हरकत का फतवा जारी कर देते। अब से करीब 10 साल पहले जब दुबई में मेरे एक भाषण के दौरान मेरे मुंह से यह वाक्य अचानक निकल पड़ा कि हमारे मुसलमान दुनिया के बेहतरीन मुसलमान हैं तो श्रोताओं के बीच बैठे अनेक अरब शेखों के चेहरों पर मैंने तीखा तनाव देखा तो मुझे तर्क देना पड़ा कि इस्लाम की नई विचारधारा के साथ-साथ उनकी धमनियों में हजारों साल की भारतीय संस्कृति रवां है। दोनों का सम्मिश्रण ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ मुसलमान बनाता है लेकिन मोहन भागवत के तर्क का आधार दूसरा है और वह भी ध्यान देने लायक है। उनका तर्क है कि भारतीय मुसलमान भारत में अल्पसंख्यक हैं। जरा उन देशों के मुसलमानों से इनकी तुलना करो, जहां ये अल्पसंख्यक हैं। मुसलमान तो ईसाई, बौद्ध, यहूदी और कम्युनिस्ट देशों में भी रहे हैं। सुन्नी देशों में शिया और शिया देशों में सुन्नी भी रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में मुझे ऐसे दर्जनों देशों में पढ़ने-पढ़ाने और रहने का मौका मिला है। उनकी स्थानीय भाषाएं भी जानता रहा हूं। उनसे अत्यंत आत्मीय और घनिष्ट संवाद भी होते रहे हैं। आपको सच कहता हूं कि जहां-जहां भी मुसलमान अल्पसंख्या में हैं, उनका जीना दूभर होता है। उसका एक कारण तो है मुसलमानों का पिछड़ापन और गरीबी लेकिन उससे भी बड़ा कारण है उनके प्रति उन-उन देशों के बहुसंख्यक लोगों में गहरी नफरत और अलगाव का भाव ! चीन के शिनच्यांग प्रांत में उइगर मुसलमानों को खुले-आम नमाज़ नहीं पढ़ने दी जाती और लाखों मुसलमान यातना-शिविरों में सड़ रहे हैं। मैं कई बार सोवियत संघ के उजबेकिस्तान आदि पांचों मुस्लिम गणतंत्रों में गया। वहां मैं देखता था कि उजबेक, ताजिक, कजाक, किरगीज और तुर्कमान लोगों को रुसी आकाओं की गुलामी करनी पड़ती थी। फ्रांस के मुसलमानों पर तरह-तरह की पाबंदियों का जिक्र मैंने पहले किया ही था। स्पेन की महारानी ईसाबेला ने 1501 में वहां के 5-6 लाख मुसलमानों को या तो ईसाई बना लिया या देश-निकाला दे दिया या कत्ल कर दिया। जापान में एक-डेढ़ लाख मुसलमान हैं लेकिन वहां भी धर्म-परिवर्तन पर कड़ी नज़र रखी जाती है। इन गैर-मुस्लिम देशों में कोई भी राष्ट्राध्यक्ष कभी कोई मुसलमान नहीं बना लेकिन भारत ऐसा एकमात्र गैर-मुस्लिम राष्ट्र है, जिसमें कई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, मंत्री और मुख्यमंत्री मुसलमान रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री भी किसी दिन कोई मुसलमान बन जाए। इसका अर्थ यह नहीं कि भारत का औसत मुसलमान बेहद खुशहाल है। उसका हाल भी वही है, जो किसी गरीब हिंदू या ईसाई या सिख का है। किसी की बदहाली उसके मजहब की वजह से नहीं है।

टीआरपी घोटाला सिर्फ विज्ञापन चोरी का मामला नहीं

उपेन्द्र प्रसाद

> बड़े बड़े कहानीकारों और उपन्यासकारों की रचनाओं पर आधारित सीरियल बंद हो गए औ फूहड़ सीरियलों की बाढ़ आ गई। दूरदर्शन उसका शिकार तो हुआ ही, क्योंकि टीआरपी चोरी के कारण विज्ञापनों की चोरी का सबसे बड़ा शिकार वही हो रहा था। सभी घरों में उसकी पहुंच होने के बावजूद उसकी टीआरपी कम होती थी और विज्ञापन कम मिलते थे। दूसरी तरफदेश के लोगों में मानसिक बीमारी बढ़ी। उनकी सोंच बदली और संस्कृति भी बदली। उसके घातक नतीजे हम आज देख रहे हैं। देश भर में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के पीछे भी टीआरपी की उस चोरी को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि टीआरपी चोर प्रोग्राम्स भी भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने के लिए बना रहे थे।

टीवी चैनलों के टीआरपी घोटाले की चर्चा भले आज बहुत तेज हो गई हो, लेकिन यह कोई नया घोटाला नहीं है। 2000 ईस्वी से टीआरपी की सिस्टम अस्तित्व में आई थी। तब कोई टैम नाम का संगठन इसे संचालित करता था। उसने देश के मात्र 2000 घरों में अपनी मशीन लगा रखी थी और मात्र 2000 घरों में देखे जा रहे प्रोग्राम्स या न्यूज के आधार पर वह तय कर देता था कि देश के करोड़ों लोगों में सबसे कितने करोड़ ने किस चैलन को देखे। 2000 घर कौन कौन थे, यह जानना भी बहुत दिलचस्प होगा। अनेक राज्यों में तो एक भी घर में टीआपी जांचने वाली मशीन नहीं लगी थी। और टैम का मालिक भी विदेशी थे, जिन्होंने अपने चैनल भारत भारत में खोल रखे थे। और यह अनायास नहीं था कि जिस चैनल के मालिक टैम के स्वामी थे, उनके कार्यक्रमों की टीआरपी सबसे ज्यादा होती थी। दूरदर्शन की पहुंच उस समय सबसे ज्यादा थी, लेकिन वह निजी चैनल टीआरपी के लिहाज से सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मनोरंजन का चैनल था। अब जिसे मालूम हो कि वे दो हजार घर कौन हैं, जिनमें वह मशीन लगी हुई है, तो वे आसानी से उन दो हजार घरों के लोगों को प्रभावित कर अपने चैनल की रेटिंग बढ़ा सकते थे। गौरतलब है कि टैम का मालिक चैनलों के एक ग्रुप का मालिक था और उसी ग्रुप के वे चैनल कथित रूप से सबसे ज्यादा देखे जा रहे थे। उन्हीं की टीआरपी ज्यादा आती थी, जबकि उनके अधिकांश प्रोग्राम्स देश में अपसंस्कृति को बढ़ावा दे रहे थे। उन्हें ज्यादा विज्ञापन मिल रहे थे और दूसरे चैनल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए उनकी नकल कर भारत की अपसंस्कृति को बढ़ाने में अपनी तरफसे भी योगदान कर रहे थे। सास- बहू की सीरियलें, उसी काल की उपज है और उन सीरियलों ने भारत के लोगों की सोंच और संस्कृति को प्रभावित किया, विज्ञापनों की लूट में तो वे शामिल थे ही।

उस टीआरपी चोरी का नतीजा यह हुआ कि अच्छे अच्छे समाज को सकारात्मक दिशा देने वाले प्रोग्राम्स बनने लगभग बंद होने लगे। उनकी सोंच बदली और संस्कृति भी बदली। उसके घातक नतीजे हम आज देख रहे हैं। देश भर में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के पीछे भी टीआरपी की उस चोरी को हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, क्योंकि टीआरपी चोर प्रोग्राम्स भी भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने के लिए बना रहे थे। उनमें महिलाओं को उस रूप में पेश किया जा रहा था, जिस रूप में वह समाज में नहीं थी। उसके कारण पुरुषों की महिलाओं के बारे में धारणाएं बदलीं और वे पुरुष भी मानसिक रूप से रुग्न हुए। वे रुग्न पुरुषों ने हिन्दुस्तान को आज रेपिस्तान में तब्दील कर दिया था। ऐसी बात नहीं है कि सरकार के लोगों को उस घोटाले के बारे में पता नहीं था। प्रसार भारती के अधिकारियों ने उस घोटाले को महसूस किया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी ने टैम की जगह एक नई व्यवस्था को लाने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन उसी बीच वे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और कई साल तक बीमार रहने के बाद मृत्यु की गोद में चले गए थे। मीडिया में कुछ लोगों का मानना था कि टीआरपी चोरों ने उन्हें जहर दे दिया था और अपने रास्ते से हटा दिया था।

> सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी ने टैम की जगह एक नई व्यवस्था को लाने की कोशिश शुरू की थी, लेकिन उसी बीच वे गंभीर रूप से बीमार हो गए थे और कई साल तक बीमार रहने के बाद मृत्यु की गोद में चले गए थे। मीडिया में कुछ लोगों का मानना था कि टीआरपी चोरों ने उन्हें जहर दे दिया था और अपने रास्ते से हटा दिया था। टैम का विरोध होता रहा। अदालत में भी मामला गया। फिर टैम की जगह एक दूसरा संगठन तैयार किया गया। लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। टैम का स्थान बार्क ने ले लिया, जिसका स्वामी संयुक्त रूप से टीवी चैनल्स, एजेंसियां और विज्ञापन देने वाले लोग हैं। 2000 से बढ़कर 45000 मशीन घरों में लगा दिए गए हैं। लेकिन व्यवस्था वही पुरानी है। इस समय करीब 100 करोड़ लोग टीवी देखते हैं। 20 करोड़ टीवी सेट हैं, जिनमें मात्र 45 हजार टीवी सेट पर देखे गए कार्यक्रम की मायने रखते हैं। शेष ने क्या कार्यक्रम देखे, टीआरपी निर्माण से उनका कोई मतलब नहीं। और इन 45000 घरों में से यदि किसी चैनल ने 1000 घरों को भी साध लिया, तो वह सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल माना जाएगा। उसे सबसे ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे और उनकी नकल अन्य चैनल भी करने लगेंगे।

टैम का विरोध होता रहा। अदालत में भी मामला गया। फिर टैम की जगह एक दूसरा संगठन तैयार किया गया। लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। टैम का स्थान बार्क ने ले लिया, जिसका स्वामी संयुक्त रूप से टीवी चैनल्स, एजेंसियां और विज्ञापन देने वाले लोग हैं। 2000 से बढ़कर 45000 मशीन घरों में लगा दिए गए हैं। लेकिन व्यवस्था वही पुरानी है। इस समय करीब 100 करोड़ लोग टीवी देखते हैं। 20 करोड़ टीवी सेट हैं, जिनमें मात्र 45 हजार टीवी सेट पर देखे गए कार्यक्रम की मायने रखते हैं। शेष ने क्या कार्यक्रम देखे, टीआरपी निर्माण से उनका कोई मतलब नहीं। और इन 45000 घरों में से यदि किसी चैनल ने 1000 घरों को भी साध लिया, तो वह सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल माना जाएगा। उसे सबसे ज्यादा विज्ञापन मिलेंगे और उनकी नकल अन्य चैनल भी करने लगेंगे। यानी एजेंडा सेट करने वाला भी हो जाएगा। यह सब सिर्फ न्यूज चैनलों के लिए सच नहीं है, बल्कि अन्य सारे चैनलों के लिए भी सच है। अभी अर्णब गोस्वामी की चोरी कथित रूप से पकड़ी गई है। दो मराठी चैनल और भी हैं। लेकिन यदि देश भर में निष्पक्ष और प्रभावी जांच हो, तो अन्य अनेक चैनल टीआरपी की चोरी करते पकड़े जाएंगे। आखिर घटिया कार्यक्रम, जिन्हें पूरे परिवार के साथ देखा नहीं जा सकता, वे कैसे सबसे ज्यादा टीआरपी ला रहे हैं? अर्णब गोस्वामी के कार्यक्रम भी फूहड़, अश्लील और उसकी बददिमागी से जुड़े होते हैं। क्या भारत के लोग भी उसकी तरह बददिमाग हो गए हैं? शायद पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन देखते देखते वे बददिमाग होने भी लगेगे और हो भी रहे हैं। उसकी टीआरपी चोरी का कमाल ही है कि नये नये पत्रकार अर्णब गोस्वामी की तरह बनना चाहते हैं और कुछ अन्य चैनलों ने भी ऐसे ऐसे ऐंकर उतारने शुरू कर दिए हैं, जो बददिमागी में अर्णब गोस्वामी को भी पछाड़ सकें। यदि यही सब होता रहा, तो समाज में बददिमागी बढ़ती जाएगी और कथित मनोरंजन चैनलों पर जो दिखाया जा रहा है, वह बदस्तूर दिखाया जाता रहा, तो फिर समाज में वह बीमारी लगातारी बढ़ती जाएगी, जिसके कारण बलात्कार की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसलिए टीआरपी की चोरी सिर्फ विज्ञापन चोरी का मामला नहीं, बल्कि यह समाज का बीमार करने का भी मामला है।

- (संवाद)

कोरोना से जंग- जनआंदोलन में जनसहभागिता का महत्व

सुदर्शन पनतोड़े

> मास्क का उपयोग करते समय ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि उसकी समुचित साफसफाई होनी चाहिए। कपड़े के मास्क को साबुन, गर्म पानी और कीटाणुनाशक से धोने के पश्चात धूप में सुखाना जरूरी है। सर्जिकल मास्क 4 घंटे तक ही प्रभावी रहता है कोरोनावायरस ने के लिए जानकारी एवं सावधानी महत्वपूर्ण है बंद कमरे में समूह में रहने से बचना जरूरी है संक्रमित व्यक्ति के बंद कमरे में रहने से संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस जन आंदोलन में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है खासकर अभिभावक जो इस तरह के कोविड अनुरुप व्यवहार का पालन करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। परिवार के सदस्यों को बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर जाने की अनुमति देनी चाहिए अगर बाहर जाना है तो मास्क का उपयोग करे।

कोरोना के रोकथाम के लिए अब समूचे देश में जनआंदोलन के माध्यम से जागरूकता, सजगता एवं जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान यूनाइट 2 फाइट कोरोना हैशटैग के साथ ट्वीट करके शुरुआत की। इस लड़ाई में जनसहभागिता महत्वपूर्ण बिंदु है इसकी शुरुआत हमारे घर से ही होती है मास्क का प्रयोग दो गज की दूरी और हाथ की स्वच्छता इन उपायों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कोविड-19 के जंग में हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी अक्सर छूई जाने वाली सतहों को छूने के बाद हमेशा अपने हाथों को धोएं । अपने नाक, मुहं और आँखों में छूने से बचे । इस प्रकार अपना व्यवहार रखें ताकि हम कोरोना का मुकाबला कर सकने में सक्षम हो सकते है । अत्यावश्यक कार्य है तभी मास्क पहनकर बाहर निकले, भीड़ में न जाएं तथा दूसरों से 2 गज की दूरी बना कर रखें। कोविड-19 के संक्रमण से बुजर्गों के बचाव हेतु उन्हें सलाह दी गई है, वे घर पर रहे और आंगतुकों से मिलने से बचे । साबुन और पानी के साथ नियमित अंतराल पर अपने हाथों और चेहरे को धोएं, छींकते और खाँसते समय अपनी कोहनी या रुमाल का इस्तेमाल करें । बुखार और श्वसन संबंधी समस्या है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, ताकि स्वास्थ्य सलाह तत्काल मिल सकें । उचित पोषण के साथ व्यायाम और ध्यान करें।

> कोविड-19 के जंग में हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी अक्सर छूई जाने वाली सतहों को छूने के बाद हमेशा अपने हाथों को धोएं । अपने नाक, मुहं और आँखों में छूने से बचे । इस प्रकार अपना व्यवहार रखें ताकि हम कोरोना का मुकाबला कर सकने में सक्षम हो सकते है । अत्यावश्यक कार्य है तभी मास्क पहनकर बाहर निकले, भीड़ में न जाएं तथा दूसरों से 2 गज की दूरी बना कर रखें। कोविड-19 के संक्रमण से बुजर्गों के बचाव हेतु उन्हें सलाह दी गई है, वे घर पर रहे और आंगतुकों से मिलने से बचे । साबुन और पानी के साथ नियमित अंतराल पर अपने हाथों और चेहरे को धोएं, छींकते और खाँसते समय अपनी कोहनी या रुमाल का इस्तेमाल करें । बुखार और श्वसन संबंधी समस्या है तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें, ताकि स्वास्थ्य सलाह तत्काल मिल सकें । उचित पोषण के साथ व्यायाम और ध्यान करें। मास्क का उपयोग करते समय ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि उसकी समुचित साफसफाई होनी चाहिए।

मास्क का उपयोग करते समय ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि उसकी समुचित साफसफाई होनी चाहिए। कपड़े के मास्क को साबुन, गर्म पानी और कीटाणुनाशक से धोने के पश्चात धूप में सुखाना जरूरी है। सर्जिकल मास्क 4 घंटे तक ही प्रभावी रहता है कोरोनावायरस ने के लिए जानकारी एवं सावधानी महत्वपूर्ण है बंद कमरे में समूह में रहने से बचना जरूरी है संक्रमित व्यक्ति के बंद कमरे में रहने से संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस जन आंदोलन में परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है खासकर अभिभावक जो इस तरह के कोविड अनुरुप व्यवहार का पालन करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। परिवार के सदस्यों को बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर जाने की अनुमति देनी चाहिए अगर बाहर जाना है तो मास्क का उपयोग करें, घर आने के बाद स्नान करें इस प्रकार का अनुशासन घर परिवार में होना चाहिए। इस संदर्भ में जनसहभागिता का महत्व अधिक रेखांकित होता है। आइए हम सब मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करते हुए सुरक्षित वातावरण में कोरोना का सामना करने में जरुर सफल होंगे यह निश्चित है। हमारी एकता, जनता सहभागिता, सावधानी, जागरूकता और अनुशासन ही हमें विजयी कर सकता है।

पाठकों की बात | पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

सबसे सुंदर सच बच्चा जब

सबसे सुंदर सच बच्चा जब बोले मैं माँ जैसा बनना चाहता हूँ स्त्री माँ है स्त्री में संवेदना है भावना,ममता प्यार है बच्चा धीरे धीरे सब समझने की कोशिश करता है बच्चा में प्यार,ममता के मिश्रित भावना पल्लवित होने लगा है बच्चा को पिता से प्यार है पर पिता जैसा नही बनना चाहता है बच्चा पोकीमॉन, सिंचन के साथ बाल गणेश, हनुमान भी टीवी पर देखता है बच्चा सन्तुष्ट है पिता के साथ क्रिकेट, फुटबाल भी देखता है बच्चा को सबसे ज्यादा सुकून माँ के गोद में मिलता है वह चाहता है पिता से ज्यादा माँ बने बच्चा मां की तरह अपना गोद विस्तृत करना चाहता है उसके गोद में सब सुकून से रह सके जैसे वह माँ केगोद में सुकून पाता है बच्चा बड़ा हो कर जो बने माँ का दिल ये सुनकर ही जन्मों का सुकून मिल जाता है।

-प्रीति श्रीवास्तव

ख़ास पाती | भीगकर भी ये लकड़ियां सारी

भीगकर भी ये लकड़ियाँ सारी रात जल चुकी फरेबी शांम, याद तुम्हारी और मेरी बात ढ़ल चुकी तुम निर्झर बरसात सी संग मेरे चलने को कहकर चलना था एक कदम फिर भी सौ कदम चल चुकी चाहा बहुत तुम साथ रहो मेरे जीवन पथ प्रशस्त कर पर गलना था मोम की तरह मेरी अंतरात्मा गल चुकी आकांक्षाओं का दीप जलाये हर राह पर बैठा हूं मैं देख भर तो जाओ तुम कि ये रात यूं हीं ढ़ल चुकी।

- ललित उपाध्याय

हम भी सीख रहे हैं हुनर जमानेवाले

हम भी सीख रहे हैं हुनर जमानेवाले। भूल जाएंगे हम भी तुमको भुलानेवाले। ऊपर से शख्त ,अंदर से नरम होते हैं। दर्द छुपाया करते हैं बहुत मुस्कुराने वाले। मुद्दत से इंतज़ार में बैठे हैं हम। आना होता तो आ ही जाते आने वाले। अब जेहन में प्यार के गीत आते नहीं। गीत लिखने लगे हैं हम रुलाने वाले। टूटी है किरण ,बिखरना अभी बाकी है। थक गए हैं , हमें इस मकाम पर लानेवाले।

- शोभा किरन

मेरा सबसे निर्वासित कोना ही मेरे

मेरा सबसे निर्वासित कोना ही मेरे लिखने की पसंदीदा जगह है। यहाँ आवारगी को रोशनाई में डुबोया जा सकता है। सिसकते हुए मुस्कुराया और हँसते हुए आर्द्र हुआ जा सकता है। यहाँ दिशाबोध नहीं रहता। कोई एक ही आवाज़ प्रश्न उत्तर की अंताक्षरी खेलती है। मेरी उंगलियाँ लिखती जाती हैं।

- कल्पना पाण्डेय

अत्याचार का विरोध न करना भी

अत्याचार का विरोध न करना भी अत्याचार करना है। पुजारी जिन्हें द्वेष राग से कोई मतलब नही, उनकी हत्या हो जाना और प्रशाशन का चुप रहना बहुत गलत संदेश देता है। ऐसे किसी भी गलत काम का मिलकर विरोध करें और अन्यायी को कठोर दंड दिलवाने में सच्चे मन से जुटें।

- गजेन्द्र द्विवेदी गिरीश

रिश्तों के डोर बहुत नाजुक बड़े ही

रिश्तों के डोर बहुत नाजुक, बड़े ही पाक होते हैं, सँभालो इनको ,ये टूटे हुए से ख़्वाब होते हैं, बहुत मुश्किल से ,ये रिश्ते, संभलते और संवरते हैं, समझौते जहाँ न हो,वो रिश्ते टूट जाते हैं।

- ममता श्री सिंह

मां कहती है चमक हो तेरी चांदी

मां कहती है चमक हो तेरी चांदी की तरह। इस गोडसे की दौर में गांधी की तरह। लिखना हमेशा सच और पढ़ना जोर से। उड़ जाए तेरे दुश्मन आंधी की तरह।

- मनीष भट्ट शर्मा

दिल की बात में आऐ कौन घर को

दिल की बात में आऐ कौन। घर को आग लगाऐ कौन। सदियों से वीरान है दिल। इस जंगल में आऐ कौन। चलते रहना जीवन है। पल दो पल सुस्ताऐ कौन। ये पहचान हुई मुश्किल। अपने कौन पराऐ कौन। अपने रिश्ते पाक मगर। दुनिया को समझाऐ कौन।

- कमलकांत डोंगरे

QUIZ TIME

1) छत्तीसगढ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
2) छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति की पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? (कुरहा / पटेल)
3) बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत छात्राओं को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है?
4) कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है?
5) पण्डवानी के जनक का नाम बताइए?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) भीमसेन अग्रवाल (2) कुरहा (3) 3000 (4) दुर्ग (5) झाडूराम देवांगन

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1895 - भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान सी. के. नायडू का जन्म। 1911 - प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार का जन्म। 1948 - सूफ़ी भक्ति संगीत और कव्वाली के प्रसिद्ध गायक नुसरत फ़तेह अली खान का जन्म। 1976 - बोलीविया में बोइंग जेट विमान दुर्घटनाग्रस्त, 100 लोगों की मौत। 1987 - कोस्टारिका के राष्ट्रपति ऑस्कर आरियास को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। 1987 - गायक, अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक किशोर कुमार का निधन। 1999 - कोलम्बिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रो. रॉबर्ट मुंडेल को वर्ष 1999 का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा। 1999 - श्री अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। 2000 - दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति किम दाई जुंग को शांति को नोबेल पुरस्कार। 2001 - नाइजीरिया में अमेरिका विरोधी प्रदर्शन के दौरान भड़की साम्प्रदायिक हिंसा में लगभग 200 व्यक्ति मारे गये। 2002 - इंडोनेशिया के बाली नाइट क्लब में हुए भीषण विस्फोट में 200 लोग मारे गये और 300 से अधिक घायल हुए। 2003 - डलास में एक साल चिकित्सकीय योजना और 26 घंटे तक चले जटिल आपरेशन के बाद मिस्र के जुड़वां बच्चों के आपस में जुड़े सिर को अलग करने में आपरेशन सफल रहा। 2003 - अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के लिए एक भारतीय छात्र का चयन। 2003 - जर्मनी ने स्वीडन को हराकर पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। 2004 - सऊदी अरब ने प्रत्येक वर्ष एक लाख श्रमिकों की कटौती करने की घोषणा की। 2004 - चीन ने ताइवान की शांति पहल ठुकराई। 2004 - प्रसिद्ध फ़िल्म अभिनेत्री निरुपा रॉय का जन्म। 2005 - जर्मनी के प्रख्यात नाटककार हेराल्ड पिंटर को वर्ष 2005 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा।

सोनी म्यूजिक ने 'गेंदा फूल' का बंगाली वर्जन किया रिलीज

मुंबई (वार्ता)। सोनी म्यूजिक इंडिया ने सुपरहिट गाना 'गेंदा फूल' का बंगाली वर्जन किया रिलीज कर दिया है। आइकॉनिक रैपर बादशाह का चार्टबस्टर गाना 'गेंदा फूल' जिसमें अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज नजर आयी थीं काफी सफल रहा था। यह पार्टी सांग लोगों के पसंदीदा सॉन्ग्स में से है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सोनी म्यूज़िक इंडिया ने इसका बंगाली वर्जन रिलीज किया, जिसका नाम है गेंदा फूल तबला फॉल्क मिक्स, जिसे तबला वादक बिक्रम घोष ने क्लासिकल टच दिया है। गाने की रचना और कल्पना उस्ताद बिक्रम घोष ने की है। निर्देशक अरिंदम सील ने बादशाह के ओरिजनल सांग वीडियो की बिट्स को बरकार रखते हुए इस म्यूजिक वीडियो को निर्देशित किया है। बोरोलोकेर बिटिलो के ओरिजनल गीतकार (ओरिजनल गेंदा फूल की हुक लाइन), रतन कहर ने सिंगर इमान चक्रवर्ती के साथ मिलकर इस गाने के कुछ हिस्से गाए हैं। इस गाने के म्यूज़िक वीडियो में बिक्रम घोष, रतन कहर, इमान चक्रवर्ती, देवलीना कुमार, बादशाह और जैकलीन फर्नांडीज नज़र आयेंगी। बिक्रम घोष ने कहा,÷मैं यह जानने के लिए उत्साहित हूं कि लोग तबला मिश्रण के साथ गाने को कैसे देखते हैं। हमने इसमें अलग अलग एलीमेंट्स जोड़े हैं जैसे कि ईडीएम के साथ तबला रैप जुगलबंदी।

खुद को सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं टाइगर श्राफ

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्राफ खुद को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीर साझा करके टाइगर हमेशा अपने फेंस का मनोरंजन करते रहते हैं। टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के बारे में खुलासा किया। टाइगर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा की, जिसमें उनका तीन रूप एक साथ दिखाई दे रहा है। क्लिप में टाइगर खुद से फाइट लेते दिखाई दे रहे हैं।

टाइगर ने कैप्शन देते हुए लिखा, ÷मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी। हैशटैग आप बनाम आप।

78 के हुये अमिताभ बच्चन

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड में पांच दशक से अपने अभिनय के जादू से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाले महानायक अमिताभ बच्चन आज 78 साल के हो गये। 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में जन्मे अमिताभ बच्चन ने अपने करियर की शुरुआत कोलकत्ता में बतौर सुपरवाइजर की, जहां उन्हें 800 रुपये मासिक वेतन मिला करता था। वर्ष 1968 में कलकत्ता की नौकरी छोड़ने के बाद वह मुंबई आ गये। बचपन से ही अमिताभ बच्चन का झुकाव अभिनय की ओर था और दिलीप कुमार से प्रभावित रहने के कारण वह उन्हीं की तरह अभिनेता बनना चाहते थे। वर्ष 1969 में अमिताभ बच्चन को पहली बार ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म सात हिंदुस्तानी में काम करने का मौका मिला।

रणबीर और श्रद्धा की जोड़ी मचायेगी धूम!

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड के रॉकस्टार रणबीर कपूर और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाती नजर आ सकती है। 'प्यार का पंचनामा' और 'सोनू के टीटू की स्वीटी' जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके लव रंजन, रणबीर कपूर को लेकर फिल्म बनाने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए लव रंजन ने रणबीर के ऑपोजिट श्रद्धा कपूर का नाम फाइनल किया है। यह एक रोमांटिक कॉमिडी फिल्म होगी। रणबीर कपूर पिछली बार संजय दत्त की बायॉपिक 'संजू' में दिखाई दिए थे। वहीं, श्रद्धा कपूर पिछली बार टाइगर श्रॉफके साथ 'बागी 3' में नजर आई थीं।

चैपमैन ने जेसीटी मिल्स और ईस्ट बंगाल के लिए नेशनल फुटबॉल लीग का खिताब जीता

भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान चैपमैन का निधन

भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान कार्लटन चैपमैन का सोमवार को निधन हो गया। वह 49 वर्ष के थे। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 1997 में नेपाल में सैफ चैंपियनशिप जीती थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने चैपमैन के निधन पर शोक जताया है।

बेंगलुरु (वार्ता)। सूत्रों के अनुसार चैपमैन को कमर में दर्द की शिकायत के बाद बेंगलुरु के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज के दौरान तड़के पांच बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। भारतीय टीम के अलावा वह जेसीटी मिल्स और ईस्ट बंगाल क्लब के लिए भी खेले थे। 2001 में उन्होंने फुटबॉल से संन्यास ले लिया था जिसके बाद वह कोच बन गए थे। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 1997 में नेपाल में सैफचैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने 39 मैचों में छह गोल किए जिसमें से पांच गोल कप्तान रहते दागे थे। वह मद्रास (अब चेन्नई) में हुए 1995 सैफखेल, 1997 में कोच्चि में हुए नेहरु कप और मडगाव में 1999 सैफ चैंपियनशिप में भारतीय टीम का हिस्सा थे। पूर्व मिडफील्डर चैपमैन ने जेसीटी मिल्स और ईस्ट बंगाल के लिए नेशनल फुटबॉल लीग (एनएफएल) का खिताब जीता था।

उन्होंने 1980 के दशक के मध्य में बेंगलुरु के भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) सेंटर से अपने करियर की शुरुआत की।

चैपमैन बेंगलुरु के फुटबॉल क्लब सदर्न ब्लूज के लिए खेले। इसके बाद 1990 में उन्होंने टीएफए के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाया। वह इस क्लब के साथ 1993 तक जुड़े रहे। वह 1995 तक ईस्ट बंगाल क्लब के लिए खेले और उसके बाद उन्होंने 1995 में जेसीटी मिल्स का दामन थामा। 1993 में ईस्ट बंगाल के लिए खेलते हुए उन्होंने एशियन विनर्स कप में इराकी क्लब अल-जावरा के खिलाफ हैट्रिक जमाई थी। उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत ईस्ट बंगाल ने 6-2 से यह मुकाबला जीता।

पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार दसवें दिन स्थिर

नई दिल्ली (वार्ता)। पेट्रोल और डीजल के दामों में सोमवार को लगातार दसवें दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ। डीजल के दाम में अंतिम बार कटौती दो अक्टूबर को कटौती की गई थी,जबकि पेट्रोल की कीमत लगातार 20 वें दिन स्थिर रही। तेल विपणन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंडियन आयल के अनुसार आज दिल्ली में पेट्रोल 81.06 रुपये जबकि डीजल 70.46 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रहा।

वाणिज्यिक नगरी मुंबई में पेट्रोल 87.74 रुपये प्रति लीटर और डीजल 76.86 रुपये प्रति लीटर पर टिका रहा। कोलकाता में पेट्रोल 82.59 रुपये प्रति लीटर और डीजल 73.99 रुपये प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 84.14 रुपये प्रति लीटर और डीजव 75.99 रुपये प्रति लीटर पर टिकी रही।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने मनाया वर्चुअल बडौदा मेगा किसान मेला

रायपुर। बैंक ऑफ़ बडौदा द्वारा सम्पूर्ण भारत वर्ष में विश्व खाद्य दिवस (16 अक्टूबर) को बडौदा किसान दिवस के रूप में मनाता आ रहा है इसके अंतर्गत 1 अक्टूबरसे 15 अक्टूबर तक बडौदा किसान पखवाडा के रूप मे माना रहा है। इसी उपलक्ष्य मेबैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा सोमवार को वर्चुअल बडौदा मेगा किसान मेला का आयोजन कोविड-19 को ध्यान मे रखते हुये डिजिटली मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि बैंक ऑफबड़ौदा के कार्यपालक निदेशक अजय कुमार खुराना, प्रमुख अतिथि रोहित कुमार पटेलजी, मुख्य महाप्रबंधक ग्रामीण एवं कृषि विभाग तथा वित्तीय समावेशन विभाग ,विशिष्ट अतिथि एसडी माहुरकर, समन्वयक एस एल बीसी (म. प्र.) रहे।

कार्यक्रम का शुभारंभ परम्परा के अनुसार बैंक ऑफ़ बडौदा के संस्थापक श्रीमान महाराजा सिया जीराव गायकवाड तृतीय के समक्ष डिजिटली दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करते हुये किया गया है।

अतिथियों का स्वागत श्री गिरीश सी डालकोटी, श्री रंजीत कुमार मंडल एवं डॉ? आर के मोहंती जी द्वारा वर्चुअली किया गया।

श्री अजय कुमार खुराना जी द्वारा किसानो को अपनी आय बढ़ाने के पारंपरिक खेती से व्यवसायीक खेती एवं डिजिटल बैंकिंग को अपनाने का आग्रह किसान भाइयो से किया गया।

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-1, सिरपुर भवन, व्यवसायिक परिसर कबीर नगर, रायपुर
email ID-eocghbzone1@gmail.com

आम सूचना

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल कालोनी वीरसावरकर नगर हीरापुर रायपुर में निर्मित ढांचा योजना में से भवन/भूखण्ड क्र. ढांचा-323 में श्री मैहल सिंग पिता श्री जागर सिंग को भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित किया गया है। मूल आबंटी द्वारा उक्त भवन/भूखण्ड श्री सुखदेव सिंग पिता श्री महंगा सिंग के नाम पर नामांतरण करने हेतु संयुक्त शपथ पत्र (नोटरी द्वारा सत्यापित) सहमति पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन/ भूखण्ड श्री सुखदेव सिंग पिता श्री महंगा सिंग के नाम पर नामांतरण किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति शासकीय/ अर्द्ध शासकीय/ वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/ भवन के नामांतरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशित की तिथि से 15 दिन के अंदर स्वतः उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति मान्य नहीं की जावेंगी, एवं भवन का नामांतरण आदेश जारी कर दिया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01
कबीर नगर, रायपुर

ज़ी 5 ने केल्टन टेक के साथ मिलाए हाथ

गुरुग्राम। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तथा इंटीग्रेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर, केल्टन टेक ने एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा की। इसके अनुसार भारत के इंटरटेनमेंट सुपर-एप ज़ी 5 ने केल्टन टेक को अपने सहयोगी के रूप में चुन लिया है। यह दोनों मिलकर अब एक नेक्स्ट जेनरेशन, क्लाउड-नेटिव कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम की रचना करेंगे।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भाटापारा के न्यायालय में मामला क्रमांक 202010211100014
विषय-अ-20(3) मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 20-21
भाटापारा प.ह.नं. 00011(82(वार्ड क्र.02, शी-13अ(3122हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - गायत्री आडिल, विक्रम आडिल, विकास आडिल,
अनावेदक पक्षकार - अरूण कुमार आडिल, नीलकंठ, विद्या, जानकी, अखिलेश कुमार, संध्या, रेखा, मनहरण आडिल, सुरेन्द्र आडिल, धर्मेंद्र आडिल,

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिकागण गायत्री आडिल पति जितेन्द्र कुमार आडिल एवं अन्य 02 निवासी नायापारा वार्ड भाटापार तहसील भाटापारा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. ने भू.रा.सं. की धारा 109,110 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम भाटापारा स्थित नजूल शीट क्रमांक-13 अ, प्लाट नंबर 82, क्षेत्रफल 3122 वर्गफुट निर्धारण 42.85 रु. धारक गायत्री, विक्रम, विकास, अरुण कुमार, नीलकंठ, विद्या, जानकी, अखिलेश, संध्या, रेखा, मनहरण, सुरेन्द्र, धर्मेन्द्र के संयुक्त नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव संबंध में जिस किसी को आपत्ति दावा हो तो अपना आपत्ति दावा पेशी दिनांक 14/10/2020 तक न्यायालयीन अवधि में मेरे न्यायालय में स्वयं या वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त नियत अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 01/10/2020 को जारी किया जाता हैं।

सील

MAHESH SINGH RAJPUT
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
भाटापारा

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-4, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा कालोनी सेजबहार, जिला रायपुर में निर्मित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत भवन क्र. एलआईजी-1084, श्रीमती शैल खण्डेवाल पति श्री सतीश खण्डेवाल के नाम पर इस कार्यालय के आबंटन आदेश क्र. 1161 दिनांक 05.03.2007 के माध्यम से स्ववित्तीय आधार पर आबंटित किया गया है। वर्तमान में आबंटी श्रीमती शैल खण्डेवाल पति श्री सतीश खण्डेवाल पता-कमला मेडिकल स्टोर्स, भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) द्वारा मु.आम श्री के.एस. अनिलजीत पिता स्व. श्री पी. के. सत्यवर्धन निवासी सेक्टर-10 क्वा.नं. 6 भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को क्रेता श्री सन्नी शर्मा पिता श्री रमाकांत शर्मा पता-सेक्टर 03, शिवानंद नगर, बिजली आफिस के पारा रायपुर (छ.ग.) के नाम पर विक्रय अनुमति हेतु आवेदन पत्र, विक्रय इकरारनामा एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन को क्रेता श्री सन्नी शर्मा पिता श्री रमाकांत शर्मा पता-सेक्टर 03 शिवानंद नगर, बिजली आफिस के पारा, रायपुर (छ.ग.) के नाम पर विक्रय हेतु अनुमति प्रदान किया जाना है।

अतः उक्त भूखण्ड/ भवन को विक्रय करने की अनुमति प्रदाय किए जाने पर किसी भी व्यक्ति, शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो, इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-04, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

न्यायालय कार्यपालिक दण्डाधिकारी उप तहसील लवन, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

ईश्तहार

क्रमांक/957/ना.तह./वा./2020
लवन, दिनांक 30.9.20
रा.प्र.क्र. ब/121 वर्ष 2019-20
ग्राम डोंगरा प.ह.नं. 35

एतद् द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक दसरूराम पिता भैयाराम जाति सतनामी निवासी ग्राम डोंगरा प.ह.नं. 35 रा.नि.मं. व उप तहसील लवन तहसील बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा छ.ग. के द्वारा उनके पिता भैयाराम पिता आनन्दी जाति सतनामी निवासी ग्राम डोंगरा की मृत्यु दिनांक 15/09/2015 को ग्राम डोंगरा में होने के कारण उनके जन्म/मृत्यु पंजीयन किए जाने बाबत आवेदन पत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम अंतर्गत 13 (3) की धारा 1 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए है। उक्त संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को दावा आपत्ति करना हो तो पेशी दिनांक 15/10/2020 को मेरे समक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकते है। पेशी मियाद बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 30/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा सील, मुहर द्वारा जारी किया गया।

सील

कार्यपालिक दण्डाधिकारी
उप तह.लवन/बलौदाबाजार

GOVERNMENT CHATTISGARH, WATER RESOURCES DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
MAHANADI PROJECT, RAIPUR (CHHATTISGARH)
NATIONAL OPEN COMPETTIVE PROCUREMENT
(Two-Rnvelope Bidding Process with e-Procurement)
e-PROCUREMENT REQUEST FOR BIDS
eprocurement portal : https://eprocure.gov.in
CORRIGENDUM NO.2

1. In Bid Tender ID. 2020-WRCWB_580763_1, RFB No.07/SAC/2020-21, Rudri Dated 01.09.2020, G.No. 83738/1, The following amendments are given below.

Above Corrigendum-02 already Upload to e-procurement web site-https://eprocure.gov.in

Executive Engineer
Water Management Dn., Rudri
Code No. 38
For Chief Engineer
Mahanadi Project, raipur (C.G.)

G-84223/5

कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर छ.ग.
फोन-0771-2535304 email- cmho_raipur@yahoo.go.in
क्रमांक/CMHO/अंधत्व/सत्रह/2020-21/20661 रायपुर, दिनांक 8/10/2020

// पुनः निविदा विज्ञप्ति //

वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय अंधत्व नियंक्षण कार्यक्रम हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डी.के. अस्पताल, मोतीबाग रोड, रायपुर को आवश्यकतानुसार चश्मा क्रय करने के लिए चश्मा निर्माता अथवा अधिकृत प्रदायकर्ताओं से जिनके पास जी.एस.टी. नंबर एवं पैन नंबर उपलब्ध हो मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर में कार्यालयीन दिवस समय में प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र को 1000/- (अक्षरी एक हजार रुपए मात्र) का नगद राशि जमा कर रसीद कटाकर प्राप्त किया जा सकता है, जो वापसी योग्य नहीं है।

1. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27.10.2020 शाम 05 बजे तक है।
2. निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 29.10.2020 को शाम 03 बजे तक है।
3. निविदा रजिस्टर्ड पोस्ट AD अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा ही स्वीकृत की जावेगी।
4. निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि 29.10.2020 को शाम 04 बजे।

निविदा खोलने की तिथि एवं समय में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तित किया जा सकता है। जिसकी सूचना कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दी जावेगी।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला-रायपुर (छ.ग.)

सं.-26650/1

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400203

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव आ. उग्रसेन श्रीवास्तव निवासी दल्लीराजहरा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 261/12 रकबा 0.040 हें/ 4290 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 06.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400205

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सुनील कुमार देवांगन आ. जीवनलाल देवांगन निवासी कोहका भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 607/29 रकबा 0.020 हें/ 2160 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 06.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400239

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती त्रिवेणी निषाद पति रुपचंद निषाद निवासी कसारीडीह दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 349/13 रकबा 0.026 हें/ 2840 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400264

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री दिलीप देवांगन आ. कुमार देवांगन निवासी म.न. 868 शिवाजी नगर तितुरडीह दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 286/16 रकबा 0.009 हें/ 978 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400251

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती क्षमा पटेल जौ. नंदलाल पटेल निवासी म.न. 184 वार्ड 9 स्वामी विवेकानंद वार्ड गिरधारी नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 286/17 रकबा 0.007 हें/ 720 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400252

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती धरमीन बाई यदु जौ. सहदेव यदु निवासी वार्ड 16 सिकोला बस्ती दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 285/3 रकबा 0.0060 हें/ 620 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400257

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती देवकी देवांगन जौ. दशरथ देवांगन निवासी म.न. 707/16 सिकोलाबस्ती दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 286/18 रकबा 0.006 हें/ 620 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400070

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री अर्जुन राव आ. वेणु गोपाल राव निवासी सेक्टर 10 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम भठगांव प.ह.न. 09 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 590/4 रकबा 0.08 हें/ 69160 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर

अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

नवप्रदेश
कवर्धा/महासमुंद/गरियाबंद/नवागढ़
रायपुर, मंगलवार, 13 अक्टूबर 2020

बेलटुकरी में सोमेश बाबा के कार्यक्रम में शामिल हुए विजय बघेल

नवागढ़। बेलटूकरी में धर्म गुरु सोमेश बाबा भंडारपुरी वाले कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ विजय बघेल शामिल हुए। नवागढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत बेल्टूकरी में समाज के प्रमुख बाबा सोमेश गुरु के रावटी के माध्यम से समाज में लोगों को जागरूक किया गया व जागरूकता अभियान के चलाया गया । मुख्य अतिथि सतनामी समाज धर्मगुरु सोमेश बाबा थे। अध्यक्षता नवागढ़ विधानसभा के सचिव प्रदेश कांग्रेस विजय बघेल जी उपस्थिति में संपन्न हुआ7 सोमेश बाबा ने कहा कि गुरु घासीदास बाबा के सतज्ञान एवं सतनामी समाज को बताए मार्ग में चलकर लोगो को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। साथ ही समाज को एकजुट होकर समाज हित में काम करने की बात कही। कार्यक्रम मे सरपंच संबलपुर अशायोगेंद्र कुर्रे ,नेना कुर्रे, अनूप कुर्रे जिला महंत सतनामी समाज,हमेश्वर कुर्रे,प्रेम कुर्रे, जागेश सहित सैकड़ों संत व ग्रामवासी उपस्थित थे व श्रद्धालु शामिल हुए।

घर का कुछ काम नहीं करती है कहकर पिता ने पुत्री पर किया जानलेवा हमला

महासमुंद। बसना थाना अंतर्गत ग्राम जाडामुडा में हत्या करने के नियत से टंगीया से हमला करने पर एक व्यक्ति को ईलाज हेतु रायपुर रिफर किया गया है. मिली जानकारी के अनुसार ग्राम जाडामुडा में आज सुबह 06.30 बजे दिलीप कुमार की भाभी कांती ने बताया कि प्रिती के पापा प्रिती को घर का कुछ काम नहीं करती है कहकर हो हल्ला कर गाली गलौच कर हांथ में टंगिया लेकर आज जान से मारूंगा कहकर चिल्ला रहा है. जिसपर दिलीप अपने भैया को समझाने भाभी कांती के साथ उसके घर गया तो देखा कि प्रिती खाट में खुन से लथपथ बेहोश पडी थी. प्रिती के पापा छबीलाल हांथ में टंगिया लेकर बाडी के रास्ते से जंगल तरफभाग रहा था जिसे दिलीप के द्वारा दौडा कर पीछा किया गया जो जंगल का फायदा उठाकर भाग गया. बताया गया कि छबीलाल द्वारा टंगीया से प्रिती को हत्या करने के नियत से मारने से, प्रिती के गले, जबडा में गंभीर चोंटे आई. जिसके बाद प्रिती को ईलाज हेतु एम्बुलेंस 108 में बिठाकर सरकारी अस्पताल बसना लाये थे जहां से उसे ईलाज हेतु रायपुर रिफर कर दिये हैं. मामले की शिकायत पर पुलिस ने छबीलाल पसायत उम्र 44 साल के विरुद्ध धारा 294-IPC, 307-IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.

कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरुप काम करने जिला कांग्रेस प्रतिबद्ध : नीलू चंद्रवंशी

कुण्डा -(नवप्रदेश)। दामापुर सेक्टर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सेक्टर एवं बूथ के अध्यक्ष की बैठक में मुख्य रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के 'अध्यक्ष नीलू चंद्रवंशी एवं, ब्लाक अध्यक्ष ' उत्तर चंद्राकर, मुकुंद माधव कश्यप ' की उपस्थिती में सम्पन्न हुआ, सर्व प्रथम जिला अध्यक्ष नीलू चंद्रवंशी ने कार्यकर्ताओ के समस्या और मांगो तथा भावनाओं को सुनकर सभी कार्यकर्ताओं के भावनाओं के अनुरुप सत्ता एवं संगठन के बीच सांमजस्य बनाकर कार्यकर्ताओ का सभी काम को कराने का आश्वासन देते हुए कार्यकर्ताओ का मनोबल बढ़ाते हुए पार्टी को मजबूत करने का आव्हान किया।तत्पश्चात सभी कार्यकर्ताओं से उनके विचार आमंत्रित करते हुए सभी के बातो को ध्यान से सुना गया।कार्यकर्ताओ की पूरी बातें सुनकर सभा को अध्यक्ष नीलू चंद्रवंशी आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी विशाल समुद्र है और आप सब कार्यकर्ता पार्टी के प्रमुख अंग है।आप सबके संघर्ष और मेहनत से सरकार बनी है। और 'मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ' के नेतृत्व में लगातार गाव गरीब और किसानों के हित के लिये कार्य कर रही है। नीलू चंद्रवंशी ने केंद्र सरकार द्वरा लाये गए किसानों के लिये .षि बिल को भी किसानों के साथ छल और धोखा वाला बिल बताया। साथ ही उपस्थित कार्यकर्ताओ को इस बिल के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाने प्रेरित करते हुए हस्ताक्षर अभीयान का फार्म देकर सेक्टर एवं बूथ प्रभारी को जेम्मेदारी सौप कर ज्यादा से ज्यादा केंद्र सरकार के विरोध में किसानों के हस्ताक्षर करवाने जिम्मेदारी दिया। जुग्गी झोफ्ड़ी प्रकोष्ठ के ब्लाक अध्यक्ष एवं जिला पाधिकारी का नियुक्ति प्रमाण तानसेन चैधरी द्वारा दिया गया, सभा को मुकुंद माधव कश्यप, श्रीविद्या चंद्रवंशी जी,ब्लॉक कुंडा अध्यक्ष उत्तर चंद्राकर ,झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ अध्यक्ष चैधरी,भरत साहू,शिव चैहान ने समोधित किया।

विकास से जुड़ी मांगें पूरी करने हर संभव कोशिश : विनोद

■ जगत विहार कॉलोनी में 54.67 लाख की सड़क व नाली निर्माण हेतु भूमिपूजन

महासमुंद। जगत विहार कॉलोनी (कौशिक कॉलोनी) में 54. 67 लाख की लागत से कांक्रीटीकरण सड़क एवं नाली निर्माण का भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव एवं विधायक विनोद चंद्राकर ने कहा कि शहर विकास में कोई भी कमी नहीं होने दिया जाएगा। विकास से जुड़ी जो भी मांग होगी उसे पूरी करने की हर संभव कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा आप का दिया हुआ टैक्स आपके ही विकास में खर्च किए जाएंगे।

जगत विहार कॉलोनी वार्ड क्रमांक 27 में आज सड़क एवं नाली निर्माण भूमिपूजन के मौके पर एक सभा को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव चंद्राकर ने कहा लोकसभा में 3 विधेयक पारित किया गया है, वो किसान विरोधी है। उन्होंने पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि बिल में एमएसपी का जिक्र तक नहीं किया गया है। जबकि धान का समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी सरकार किसान हितेषी है, या फिर विरोधी? एक दौर ऐसा भी आएगा जब बड़े-बड़े उद्योगपति खाद्यान्न का एमएसपी का निर्धारण करेंगे और उन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं रहेगा।

जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना नैतिक जिम्मेदारी : प्रकाश चंद्राकर

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने कहा कि कॉलोनी की नियमितीकरण को लेकर यहां निवासरत सभी ने लंबे समय तक संघर्ष किया है। आज उसी का परिणाम है कि यहां कांक्रीटीकरण सड़क और नाली निर्माण होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद नये बॉडी के गठन के बाद सभी टीम ने पहली प्राथमिकता के साथ कॉलोनी की नियमितीकरण पर काम किया। बिजली व्यवस्था की गई। कॉलोनी वैध-अवैध के चक्कर में आम जनता उलझकर रह जाते हैं। जबकि जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। इसी प्रकार आयोजन में विशेष अतिथि के रूप में मौजूद जनपद अध्यक्ष भागीरथी चंद्राकर, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, दिलीप कौशिक, वार्ड पार्षद शोभना यादव ने भी सभा को संबोधित किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र चंद्राकर ने कांग्रेस, भाजपा के मौजूद जनप्रतिनिधियों से कहा कि विकास के लिए सभी को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। जिलाध्यक्ष की मांग पर संसदीय सचिव चंद्राकर ने कौशिक कॉलोनी में स्वागत द्वार और पालिका अध्यक्ष चंद्राकर ने ओपन जिम बनाने की घोषणा की। इसके पूर्व सभी ने अतिथियों का पुष्पमाला से स्वागत किया।

जिले के गरियाबंद, राजिम, मैनपुर, छुरा और देवभोग में कन्टेनमेंट जोन

गरियाबंद। जिले के गरियाबंद, राजिम, मैनपुर, छुरा और देवभोग तहसील में गत दिवस नये धनात्मक कोरोना मरीज मिलने से संबंधित क्षेत्र के चौहद्दी को कन्टेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के नगर पालिका गरियाबंद के वार्ड नंबर-01 अस्पताल परिसर, वार्ड नम्बर-05 सिविल लाईन, गरियाबंद तहसील के ग्राम हाथबाय के वार्ड नंबर-01, ग्राम जोबा के वार्ड-02, ग्राम कासरबाय वार्ड-17, वार्ड नम्बर-05 पुलिस लाईन, राजिम तहसील अंतर्गत ग्राम सिर्रीखुर्द के वार्ड नंबर-02 स्कूल पारा, ग्राम भेण्ड्री के वार्ड-12 बजरंग चौक, ग्राम मड़ेली के वार्ड नबंर-05, नगर पंचायत छुरा के वार्ड नंबर-12, वार्ड-01, छुरा तहसील के ग्राम पाण्डुका के वार्ड नम्बर-14, वार्ड-17, ग्राम कुरूद के वार्ड-02, वार्ड-13, ग्राम अकलवारा के वार्ड नम्बर-05, वार्ड-09, ग्राम सांकरा के वार्ड-05,ग्राम करचाली के वार्ड-05 ग्राम कसेकेरा के वार्ड-03, मैनपुर तहसील के ग्राम भाठीगढ़,ग्राम गुरजीभाठा (अ) तथा देवभोग तहसील अंतर्गत ग्राम भतराबहाली, ग्राम निष्ठीगुड़ा, ग्राम सरगीगुड़ा में कोरोना पॉजिटिव मिलने के पश्चात संबंधित चौहद्दी को कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतर सिंह डेहरे द्वारा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

छग में शहरी विकास...

महिला स्व-सहायता समूहों की 10,000 महिलाओं (स्वच्छता दीदी) को 'मिशन क्लीन सिटी' परियोजना से जोड़ा गया। इनके द्वारा प्रदेश के 15 लाख घरों से प्रतिदिन 1600 टन कचरा (गीला एवं सूखा अलग अलग कर) एकत्रित किया जाता है। संपूर्ण कचरे का वैज्ञानिक रीति से निपटान किया जाता है। स्वच्छता दीदियों की आय में वृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा दीदियों के मानदेय को बढ़ा कर 6000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। सूखे कचरे की बिक्री से 15 करोड़ रुपए की आय भी स्व-सहायता समूहों के मध्य वितरित की गयी।

शहरी लोक स्वास्थ्य - प्रदेश के 14 नगर निगमों के 861 स्लम में 1,71,247 परिवारों के स्वास्थ्य लाभ हेतु मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। 120 मोबाईल मेडिकल यूनिट के माध्यम से झुग्गी बस्तियों में ही निशुल्क परामर्श, इलाज, दवाइयों एवं पैथोलाजी लैब की सुविधा मिल रही है। प्रदेश के नगर निगमों में 'डॉ राधाबाई डायग्नॉस्टिक सेंटर' प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। योजनांतर्गत विश्वस्तरीय पैथालॉजी एवं रेडियोलॉजी लैब की पीपीपी मोड़ पर स्थापना की जाएगी। नागरिकों को न्यूनतम दर पर यह सुविधा उपलब्ध कराने वाली एजेन्सी से राज्य करेगा साझेदारी की जाएगी। द्वितीय चरण में 'मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना' का प्रदेश के समस्त 166 शहरों में विस्तार किया जाएगा।

जन शिकायत निवारण - शहरी क्षेत्रों में लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं के निदान के लिए प्रदेश के नगरीय निकायों में वार्ड कार्यालय की स्थापना की गई, इनका उद्देश्य वार्ड स्तर पर वह समस्त सेवाएँ उपलब्ध कराना है जिसके लिए सामान्यतः नागरिकों को नगर निगम कार्यालय जाने की आवश्यकता होती है।

यौन अपराधों का जिलों में...

प्रदेश के सभी जिलों में यौन अपराधों से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु आवश्यक संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट अधिसूचित किए जाएं, जिसमें ऐसे प्रकरणों की सुनवाई समय सीमा में तथा दिन-प्रतिदिन हो। राज्य शासन इस हेतु समस्त आवश्यक सहयोग हेतु सहमत है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने न्यायमूर्ति श्री मेनन से इस विषय में आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

गरीब, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के...

कि केन्द्र सरकार के नए कानूनों से कृषि व्यवस्था में पूंजीपतियों का नियंत्रण बढ़ने के साथ ही महंगाई बढ जाएगी। समर्थन मूल्य में धान खरीदी और सार्वभौम पीडीएस प्रणाली में एक रूपए में गरीबों को चांवल वितरण भी प्रभावित होगा। किसानों की स्थिति अपने खेत में ही मजदूरों जैसी हो जाएगी इसलिए इन कानूनों से किसानों, उपभोक्ताओं और मजदूरों के शोषण से बचाने की जरूरत है। बैठक में इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा के लिए संविधान के दायरे में रहकर विधि सम्मत कानून बनाया जाए, इसके लिए विधान सभा का विशेष सत्र आहूत की जाए।

कृषि सुधार कानूनों को...

इस मामले में पहले मनोहर लाल शर्मा की याचिका पर विचार किया गया और मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस याचिका में 'कॉज ऑफ एक्शन' नहीं है। उन्होंने कहा, ''मैं आपकी याचिका खारिज करना नहीं चाहता। आप याचिका वापस ले लीजिए और 'कॉज ऑफएक्शन' लेकर आइए, फिर हम आपको मौका देंगे।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400243

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती कुंती देवांगन पति चंद्रशेखर देवांगन निवासी भिलाई कालोनी रिसाली सेक्टर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 602/50 रकबा 0.0200 हें/ 2200 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400279

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती पूर्णिमा साहू जौ. मोतीलाल साहू निवासी बोरसी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 52/34 रकबा 0.015 हें/ 1650 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202008100400791

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती रेखा खुटेल पित स्व. लैनदास खुटेल निवासी मरोदा सेक्टर भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 222/5 रकबा 0.020 हें/ 2202 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400287

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती रेखा डोगरे जौ. प्रकाश डोंगरे निवासी दीपक नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम अंजोरा प.ह.न. 28 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 672/28 रकबा 0.0200 हें/ 2000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400296

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री अनित कुमार चंद्राकर आ. धरम सिंह चंद्राकर निवासी मासुल पो. बटरेल जिला बालोद द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 48/8 रकबा 0.014 हें/ 1500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400247

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री शैलेन्द्र आ. अजयपाल पारकर निवासी बेलौदी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बेलौदी प.ह.न. 02 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 654/1, 654/4 रकबा 0.030, 0.030 हें/ 6458 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400312

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री रामेश्वर कुमार देवांगन आ. दुकलहाराम देवांगन निवासी क्वा. 1 ए स्ट्रीट 11 सेक्टर 04 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 225/15 रकबा 0.013 हें/ 1428 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400313

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री राजेश कुमार देवांगन आ. दुकलहाराम देवांगन निवासी क्वा. 1 ए स्ट्रीट 11 सेक्टर 04 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 225/16 रकबा 0.013 हें/ 1428 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400233

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री आशीष कुमार झा आ. सी.एम. झा निवासी म.न. 1 बी सड़क नं. 78 से-06 भिलाई नगर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 332/20 रकबा 0.05 हें/ 5600 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400234

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती किरण झा जौ. पवन कुमार झा निवासी म.न. 1 बी सड़क नं. 78 से-06 भिलाई नगर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 332/21 रकबा 0.02 हें/ 2800 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400310

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका शिखा अग्रवाल जौ. विकास अग्रवाल निवासी मोहलई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम मोहलई प.ह.न. 06 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 766/5 रकबा 0.0400 हें/ 4304 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 09.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400109

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री गौरव भट्टाचार्या आ. अभिजीत भट्टाचार्या निवासी मैत्रीकुंज द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 393/12 रकबा 0.0220 हें/ 2400 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400110

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री रेशम लाल राठौर आ. गीताराम राठौर निवासी जांजगिर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 28/54, 29/56 रकबा 0.022 हें/ 2400 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 05.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400030

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती प्रियंका सेक्सरिया पति श्री नितेश सेक्सरिया निवासी गंजपारा दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम सिलोदा प.ह.न. 26 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 49/3 रकबा 0.115 हें/ वर्गफीट के औद्योगिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 03.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202009100400335

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री रितुराज चतुर्वेदी आ. मेहतरुराम चतुर्वेदी निवासी थनौद द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम अंजोरा प.ह.न. 28 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 672/83 रकबा 0.02 हें/ 1577 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 11.09.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400286

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सरजू साहू आ. स्व. मदनलाल जी साहू निवासी चांदमारी डिपरापारा दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 845/123 रकबा 00.14 हें/ 1500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202010100400240

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती त्रिवेणी निषाद पति रुपचंद निषाद निवासी कसारीडीह दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 192/7, 203/10 रकबा 0.010 हें/ 1100 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 07.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

न्यूज गैलरी

प्रथम चरण की काउंसिलिंग पूर्ण

कवर्धा-(नवप्रदेश)। दाऊ वासुदेव चंद्राकरक मधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग से सम्बन्ध ग्राम-सेवईकछार (कवर्धा) स्थित मात्स्यि की महाविद्यालय में बैचलर ऑफफिशरीज साइंस की 83 सीटों के लिए प्रथमचरण की काउंसिलिंग दिनांक 09.10.2020 कोपूर्ण की गई। डॉ. के. के. चैधरी, अधिष्ठाता, मात्स्यि की महाविद्यालय, कवर्धा ने बताया की दिनांक 09.10.2020 को 1से 200 रैंक तक, अभ्यर्थि ओके आमंत्रित किया गया था जिसमे 83 सीटों में से 55 सीट पर दाखिला किया गया । प्रथमचरण की काउंसिलिंग के बाद खुली स्पर्धामें स्वंत्रतासंग्रामध्सैनिकध्दिव्यांग एवं जम्मूकश्मीर के लिए कुल 04 अनुसूचित जनजाति वर्ग में 19 एवं मछुवारा वर्ग के लिए 05 सीटें रिक्तहै, जिसके लिए दिनांक 12.10.2020 मेरिट सूचि रैंक 201 से 497 तक के अभ्यार्थी रिक्त सीटों के लिए भागलेसकतेहै।किन्तु 201से 497 तक के रैंककाउंसिलिंगमेंनहींभरने की स्थिति में रूपांतरण के प्रक्रिया के अनुसार 01से 497 तक के अभ्यार्थी से रिक्त सीटों को पूर्ण किया जायेगा ।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने किया दीपक द्वारा लिखित पुस्तक 'अनमोल बेटियाँ' का विमोचिन

खरोरा। 11 अक्टूबर को अनमोल बेटियां पुस्तक का विमोचन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह द्वारा रायपुर में उनके आवास में किया गया । इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह जी के मुख्य अतिथि और प्रदेश सयोजक श्री अनंजय शुक्ल जी अध्यक्षता में किया गया। डॉ साहब जी द्वारा पुस्तक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जांजगीर की टीम की सराहना की गई। जिला प्रभारी श्रीमति अनुराधा शुक्ला द्वारा साल श्रीफल और बुके से और शिवरीनारायण सयोजक श्रीमति दौपति केशरवानी द्वारा पारिजात का पौधा और भगवान शिवरीनारायण जी छाया चित्र से डॉ, साहब और अनंजय शुक्ला जी का सम्मान किया गया। अकलतरा विकाशखण्ड के ग्राम तिलई के युवा लेखक , पंछी संरक्षक, दीपक तिवारी पुस्तक लिखा गया था ।इनके द्वारा लकड़ी का घोसला सप्रेम भेंट किया गया। बेटियों पर चर्चा की गई वर्तमान परिस्थिति में बेटियों के सुरक्षा और चिन्ता जनक हैं जिस पर हम सभी को मिलकर जागरूक करना होगा राजनीति से दूर रहकर काम होगा। यह पुस्तक बालिका संरक्षण पर आधारित हैं । विमोचन के अवसर पर रायपुर में प्रदेश संयोजक श्री अंजय शुक्ला जांजगीर चाम्पा जिला प्रभारी श्रीमति अनुराधा शुक्ला शिवरीनारायण संयोजक श्रीमति द्रोपति केशरवानी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य किरण बघेल श्रीमति देवी कर्ष विशेष रूप से उपस्थित थे ।

प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज प्रदेश युवा प्रकोष्ठ का प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय अधिवेशन व निर्वाचन सम्पन्न हुआ

लवन। गत दिवस प्रदेशाध्यक्ष दिनेश बंजारे,(महासमुंद) प्रदेश उपाध्यक्ष, दिनेश लहरें (बिलासपुर) महिला उपाध्यक्ष श्रीमती ओमेश्वरी गिलहरे बारले (रायपुर) महासचिव, मनोज बंजारे (रायपुर) सहसचिव भोजराम मनहरे (आरंग) मिडिया प्रभारी मनीष रात्रे (रायपुर ग्रामीण) प्रबंधकार्यकारिणी सदस्य लालजी हिरवानी (बलौदाबाजार), अशोक कुमार बंजारे बाहनाकाड़ी रायपुर, मिलन रंगीला तेलीबांधा रायपुर, विजय प्रताप बंजारे अकलतरा जांजगीर चांपा, विनय गेंड्रे धनेली माना, हेमंत भारतद्वज रायपुर को सर्व सम्मति से निर्वाचित पदाधिकारी नियुक्त किया गया। वही सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ,पी आर खुंटे, अश्वनी बबलू त्रिवेंद्र , निर्वाचन अधिकारी एस आर बंजारे, निर्वतमान प्रदेशाध्यक्ष मोहन बंजारे, निर्वतमान महासचिव विजय कुर्रे एवं प्रदेश भर से आए हुए जिला व ब्लाक पदाधिकारीगण एवं सामाजिक जनों ने फुल माला पहनाकर बधाई दिए।

करौली मंदिर पुजारी की निर्मम हत्या के विरोध में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

पिथौरा। सर्व ब्राह्मण समाज पिथौरा द्वारा आज राजस्थन में पुजारी की निर्मम हत्या में शामिल हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम का ज्ञापन एस डी एम राजेश गोलछा को सौंपा । इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष काशीराम शर्मा ने कहां की आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए सर्व ब्राह्मण समाज युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष स्वप्निल तिवारी ने कहा कि राजस्थान के करौली जिले के बुकना गांव में मंदिर के पुजारी कोबाबुलाल वैष्णव को दबंगो द्वारा पेट्रोल डालकर मार दिया गया ।ऐसे आरोपियों को तत्काल फांसी की सजा प्रशाशन को देनी चाहिए ताकि दुबारा कोई ऐसा दुस्साहस न कर पाये ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। युवा मंच के शहर अध्यक्ष प्रियांशु दीक्षित ने कहा कि इस घटना से ब्राह्मण समाज मे आक्रोश है समाज मांग करती है कि तत्काल मामले की निष्पक्ष जांच कर हत्याओं को फांसी दी जाए । साथ ही पुजारी के परिवार को शासन द्वारा सहयोग किये जाने की मांग की गई है व मंदिर की जमीन अतिक्रमणमुक्त कराकर सीमांकन कर पुजारी परिवार को सौंपी जाए यही ब्राह्मण समाज की मांग है । इस अवसर पर महिला ब्राह्मण समाज अध्यक्ष सुषमा तिवारी , सरला शर्मा , कुसुम शर्मा सुरेंद्र पांडे , राजेश मिश्रा , कृष्णा शर्मा , ऋषिकेश शुक्ला , नरेश शुक्ला , विवेक दीक्षित , गोपाल पांडे , विकास शर्मा , गोविंद शर्मा , शिवशंकर मिश्रा , अभिनव शुक्ला आदि उपस्थित थे।

जिले के सभी दुकान एवं व्यवसायिक संस्थान अब प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेगा

गरियाबंद । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी छतर सिंह डेहरे ने सम्पूर्ण गरियाबंद जिले के सभी दुकानों एवं व्यवसायिक संस्थानों को अब प्रातः 08 बजे से रात्रि 08 बजे तक खोलने संबंधी आदेश जारी किया है। ज्ञातव्य है कि पूर्व आदेश के अनुसार दुकानें शाम 06 बजे तक संचालित होता था जिसे शिथिल करते हुए रात्रि 08 बजे तक बढ़ाया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

धरसा विकास योजना से अब किसानों को मिलेगी समस्या से निजाद : तुकाराम

कवर्धा-(नवप्रदेश)। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने गड़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया और आज छत्तीसगढ़ में विकास को परिभाषित कर रहा है।

जिला पंचायत सदस्य व युवा कांग्रेस प्रदेश सहसचिव तुकाराम चंद्रवंशी ने कहा छत्तीसगढ़ प्रदेश की आत्मा गांवों में बसती है और ग्रामीण अंचलों की समुचित विकास कांग्रेस सरकार प्रतिबध्द है और उनके विकास को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ में धरसा विकास योजना लागू करने से ग्रामीणों को मूलभूत समस्याओं से निजात मिलेगा,जब गांव पहुँचते है तो ग्रामीण व्यवस्था ऐसा होता है कि गांव का बसाहट पास पास होता है और एक दूसरे के घर जाने में असुविधा नही होती है लेकिन जब गांव से अपने खेतों,बाड़ी,कोठार,और माता देवाला, तालाब,गौठान और अन्य जाने वाली कच्चे रास्ते को हम धरसा रोड कहते है अधिकतर गांवों में धरसा को विकसित करने की जरूरत है जिस पर पूरे गांव

वालों का जीवन यापन चलता है । साथ ही तुकाराम ने भाजपा की रमन सरकार पर निशान साधते हुए कहा कि 15 साल बीजेपी की सरकार ग्रामीण अंचलों में विकास के कार्यो से अछूता रह गया था रमन सरकार को यह मालूम न था कि गांव की मूलभत जरूरतों में सुगम धरसा होना चाहिए। अभी हमारे नेता मुखिया भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में धरसा योजना लागू कर ये बता दिया है कि वो गांव के रहने वाले सच्चे व्यक्ति को जो गांव में निवास कर रहे लोगो की छोटी छोटी समस्याओं को भाँतिभाति परिचित है,मुख्यमंत्री ने गांव को व्यवस्थित और धरसा को सुगम बनाने के उद्देश्य से धरसा विकास योजना को लागू किया है इससे खेत,खलिहान,बाड़ी, तालाब,माता देवाला समेत गांव के सभी कच्चे रास्ते अब सुगम व पक्के बनेंगे जिससे किसानों के खेतों तक अब गाड़ियों का जाने में सुविधा होगी और किसान अपने उपज को ट्रेक्टर व उचित व्यवस्था से खलिहानों तक पहुँचने में कारगर साबित होगा ।

तुकाराम चंद्रवंशी ने जताया मुख्यमंत्री का आभार'

तुकाराम ने मुख्यमंत्री भुपेश बघेल जी का आभार जताते हुए कहा भुपेश बघेल जी ने गड़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया और आज छत्तीसगढ़ विकास की नई परिभाषा गढ़ रहा है,छत्तीसगढ़ के नागरिकों के मूलभूत जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाकर क्रियान्वित करने काम कर रहे है कांग्रेस सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाकर कर अधिक से अधिक लोगो को लाभान्वित करने का सार्थक प्रयास करेंगे ।

फटाका बाजार में भी कोरोना की काली छाया

नवप्रदेश संवाददाता

भाटापारा। न बम, ना आसमान में रंगीन तारे और न ही आंगन में रंगीन चकरियां। हद तो यह है कि नवरात्रि पर लिए और दिए जाने वाले ऑर्डर तक नहीं मिल रहे हैं। यह उस बाजार का हाल है जिसकी उम्र महज 1 सप्ताह की मानी जाती है। जी हां, बात हो रही है उस पटाखा बाजार की जिस पर कोरोना की काली छाया फैल चुकी है।कुछ नहीं बता सकते कि इस बार दीपावली पर पटाखा बाजार में कितनी मात्रा में पटाखा की खरीदी या बिक्री की जा सकेगी? यह शब्द उन होलसेल काउंटर के हैं जहां पटाखों का सजाया जाना चालू हो चुका है लेकिन ना तो ग्रामीण क्षेत्र

खरीदी करने पहुंच रहा है ना ही शहर क्षेत्र से पूछ-परख हो रही है। लाइसेंस नवीनीकरण का काम अब तक चालू नहीं होने से संशय के बादलों के बीच डूबता-उतराता पटाखा बाजार ने अब उम्मीद छोड़ना चालू कर दिया है क्योंकि शादियों का सीजन पूरी तरह सन्नाटे में गुजर चुका है।

वियादशमी भी छूटा हाथ से

कोरोना काल के बीच नवरात्रि के साथ विजयादशमी भी हाथ से निकल चुका है क्योंकि रावण दहन के पूर्व रामलीला नहीं हो रही है। इसके अलावा विजयादशमी पर रावण का कद घटाने से भी पटाखा की बिक्री नहीं है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि दीपावली पर बाजार कैसा रहेगा। इसके बावजूद होलसेल काउंटर ने बीते साल का बचा सुरक्षित स्टॉक और कुछ मात्रा में मंगाए गए नए पटाखों के साथ हाजिरी लगा दी है।

मिलेगें इस दर पर

बच्चों और युवा उपभोक्ताओं में हमेशा से मांग में बना रहने वाला बम 24, 35, 46, 57, 72 और 85 रुपए प्रति पैकेट की दर पर मिलेगा। यदि इन सभी के बड़े पैक चाहिए तो 4320 रुपए, 4900 रुपए, 4600 रुपए, 4560 रुपए, 4320 रुपए और 4590 रुपए निकालने होंगे। इसमें 56, 60, 80, 100, 140 और 180 पैकेट होंगे।

टूटती उम्मीदें फिर भी है आस

पटाखा बाजार की सेहत बेतरह खराब हो चुकी है। इसे अब जिंदा रहने के लिए ग्राहक के रूप में ऑक्सीजन की जरूरत महसूस की जा रही है। मार्च से फैल चुके कोरोनावायरस का हमला इस पर भी हो चुका है। इसलिए यह बाजार उम्मीद पर था कि शादियों का सीजन आने पर बिक्री हो सकेगी लेकिन उम्मीदे उस दिन टूट गई जब शादियों पर शर्तो का कड़ा पहरा लगा दिया गया। यह आज तक लगा हुआ है। अब जैसी स्थितियां दिखाई दे रही है उसके बाद दीपावली से विशेष उम्मीद नहीं है। फिर भी आस लगाए बैठा है यह बाजार।

15 अक्टूबर से हावड़ा -पुणे -हावड़ा एसी द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू

भाटापारा। रेल यात्रियों की सुविधाओं एवं मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन के द्वारा 02222 / 02221 हावड़ा -पुणे -हावड़ा एसी द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से शुरू होने जा रहा है। 02222 हावड़ा - पुणे एसी द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 से हावड़ा से सुबह 08.25 बजे चलेगी । इसी प्रकार विपरीत दिशा में भी 02221 पुणे - हावड़ा एसी द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन दिनांक 17 अक्टूबर, 2020 से पुणे से 15.15 बजे चलेगी ।

अंडर ब्रिज से आवाजाही आज से, विधायक के प्रति जताया अभार

भाटापारा। क्षेत्रीय विधायक शिवरतन शर्मा की सार्थक पहल से नगर वासियों को आज से हटरी बाजार स्थित रेलवे फाटक के अंडर ब्रिज से आने जाने की सुविधा मिलने जा रही। इस ब्रिज का विधिवत उद्घाटन बाद में होगा।आना जाना प्रारम्भ होने से लोगो ने विधायक के प्रति हर्ष जताया है।

नगरपालिका के पूर्व पार्षद उमा शंकर वर्मा,भाजपा कार्यकर्त्ता संजय सिंह चौहान और युवा नेता राजा शर्मा ने अंडर ब्रिज से आने जाने की सुविधा दिलाने से विधायक शिवरतन शर्मा के प्रति अभार जताते हुए कहा की जिस अंडरब्रिज की मांग लंबे समय से की जा रही थी और अंडर ब्रिज का बनना एक सपना लग रहा था वह सपना आज से पूरा होने जा रहा है उन्होंने कहा कि हालांकि इसका इसका विधिवत उद्घाटन होना था किंतु कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद द्वारा समय पर पाइपलाइन का कार्य कर दिया गया होता तो इसका विधिवत उद्घाटन भी हो जाता भाजपा नेताओं ने कहा कि जिस कांग्रेस शासित पालिका की वजह से रेलवे अंडर ब्रिज को शुरू होने में देर हो रही थी वहीं कांग्रेस के साथी अंडरब्रिज के संबंध में बयान देकर अपना मिया मुंह मिट्ठू बन रहे हैं।

भाजपा नेताओं ने कांग्रेसियों से पूछा कि वह बताएं कि एक तरफ प्रदेश में उनकी सरकार बने बाईस महीने तथा नगर पालिका में दस महीने हो रहे है अभी तक उन्होंने नगर हित के लिए कौनसे काम किए है। अब जबकि क्षेत्रीय विधायक शिव रतन शर्मा की सार्थक पहल पर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार एवं प्रदेश की तत्कालीन डॉ रमन सिंह की सरकार की पहल से अंडर ब्रिज तैयार होकर जनता को समर्पित होने जा रहा है तो वे क्यो उछल कूद करने में लगे हुए हैं।

10 लीटर महुवा शराब के साथ गिरफ्तार

भाटापारा। 5 पांच लीटर के प्लास्टिक डिब्बे में छुपा कर रखी महुवा शराब के साथ एक व्यक्ति को पकड़ने में पलारी पुलिस को सफलता मिली है।थाना प्रभारी सी आर चंद्रा ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर आगे की कार्यवाही की है। विदित हो की जिलें में अपराधों की त्वरित रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक आई के एलेसेला, अति0 पुलिस अधीक्षक श्रीमति

निवेदिता पाल, उप पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बघेल के निर्देशन में जुआ,सट्टा,शराब पर अकुंश लगाने के निर्देश के क्रम में थाना प्रभारी, निरीक्षक सी.आर. चन्द्रा के नेतृत्व में संजीव सिंह राजपूत, विजय केसरिया, जनक राम यादव, प्रआर अशोक ध्रुव, आरक्षक दिलीप नारायण यादव, ईश्वर ज्योति, तरूण साहू गोवर्धन प्रसाद ध्रुव व महिला आरक्षक लीला साहू के द्वारा 1 व्यक्ति को कच्ची महुवा शराब के साथ पकड़ा है।टी आई सी आर चंद्रा ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया की रविवार को मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम छेरकाडीह छ निवासी दुधनाथ जांगडे अपने घर बाडी में भारी मात्रा में हाथ भट्ठी महुआ शराब बिक्री करने हेतु रखा है कि सूचना हमराह स्टाफएवं गवाहन के मुखबीर के बताये स्थान पर रेड कार्यवाही किया कि आरोपी दुधनाथ जांगडे पिता खोरबाहरा जांगडे 35 वर्ष साकिन छेरकाडीह छ थाना पलारी के पास से दो प्लास्टिक के जरीकेन 05-05 लीटर वाली पीले रंग के प्लास्टिक जरीकेन में 10 लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब किमती 2000/रूपये रखे मिला। जिसे जप्त कर आरोपी के खिलाफधारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत् कार्यवाही की है।

असहाय लोगों की मदद से आत्मा को खुशी मिलती है : संगीता साहू

भाटापारा। जनपद पंचायत कार्यालय में एक छोटे कार्यक्रम में बैटरी से चलने वाली 8 ट्राय सिकल का वितरण जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती संगीता मनोहर साहू ने आधा दर्जन से ज्यादा गांव के लोगो को किया।इस दौरान पात्र हितग्राहियो के साथ काफी संख्या में उसके परिजन व् जनपद से जुड़े जनप्रतिनिधि ,जनपद अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे। जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि केतुमान साहू ने उक्त जानकारी देते हुए बताया की जनपद पंचायत कार्यालय में हुए एक संक्षिप्त कार्यक्रम में अपने सम्बोधन में अध्यक्ष श्रीमती संगीता मनोहर साहू न् कहा की उन्हें असहाय,बेसहारा गरीब अपंग लोगो की सेवा करने से उनके मन को संतुष्टि मिलती है। आज उन्हें बहुत खुशी हो रही है की वे अपनी राजनीती के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हो रही है, इन सभी लोगो को ट्राय सिकल मिलने के बाद इन को और इनके परिजनो को जो खुशी मिल रही है उससे ज्यादा खुशी मुझे मिल रही है ।

गृहमंत्री ने किया ग्राम भिंभौरी उप तहसील का शुभारंभ

साजा। प्रदेश के गृह, जेल एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज सोमवार को बेरला तहसील के ग्राम भिंभौरी मे उप तहसील कार्यालय का शुभारंभ किया। केबिनेट मंत्री ने भिंभौरी मे 32 करोड़ रुपये के विभिन्न निर्माण कार्यो का भुमिपूजन एवं लोकार्पण किया। भिंभौरी मे उप तहसील खुलने से अंचल के किसानों को अपने जमीन संबंधित राजस्व समस्याओं के निराकरण मे सहुलियत मिलेगी और उनके आने जाने का समय बचेगा। मुख्यमंत्री ने आमजनता की समस्याओं को ध्यान मे रखकर जन

भावनाओं का सम्मान करते हुए ग्राम भिंभौरी को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की थी। आज कार्यक्रम के दौरान गृहमंत्री श्री साहू ने पिरदा चौक से भिंभौरी सड़क का चैड़ीकरण करने, बेरला रेस्टहाउस का उन्नयन, पिरदा मे सिंचाई विभाग के रेस्टहाउस का उन्नयन करने की बात कही। इस अवसर पर विधायक आशीष कुमार छाबड़ा, कलेक्टर शिव अनंत तायल, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरा वर्मा, उपाध्यक्ष नवाज मोहम्मद खान, एसडीएम संदीप ठाकुर, जनपद पंचायत सदस्य श्रीमती चेतना बबला वर्मा, कु. पूजा टिकरिहा, सरपंच ग्राम पंचायत भिंभौरी श्रीमती महेश्वरी धीवर, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

धरसा विकास योजना : अब ग्रामीणों को मिलेगी मूलभूत समस्याओं से निजात-आलोक

महासमुंद। कांग्रेस नेता आलोक चंद्राकर ने कहा कि छग के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया और आज छत्तीसगढ़ विकास की नई परिभाषा गढ़ रहा है। आलोक ने कहा कि छग प्रदेश की आत्मा गावों में बसती है और गांव के समुचित विकास के लिए धरसा विकास योजना लागू करने से ग्रामीणों को मूलभूत समस्याओं से निजात मिलेगी।

जिला प्रशासन को सर्व ब्राह्मण समाज ने सौंपा बेड

साजा। आज सोमवार को सर्व ब्राह्मण समाज जिला बेमेतरा के शैय्या (बेड़) दान समिति के द्वारा नए कोविड़ सेंटर के लिए बेमेतरा जिला प्रशासन को सर्व ब्राह्मण समाज जिला बेमेतरा नें समाज के लोंगों के समक्ष शैय्या (बेड़) को सौंपाा। जिला प्रशासन के प्रतिनिधि अपर कलेक्टर संजय दिवान एवं बेमेतरा अनुविभागीय अधिकारी दुर्गेश वर्मा नें

सर्व ब्राह्मण समाज जिला बेमेतरा को इस कार्य के लिए बधाई दियाा। दान दाताओं द्वारा दिया गया शैय्या (बेड़) को सौंपते हुए सर्व ब्राह्मण समाज के उपप्रांताध्यक्ष लेखमणी पाण्डेय ने सर्व ब्राह्मण समाज के शैय्या दान अभियान को सफल बनाने के लिए समाज के सभी लोगों को धन्यवाद किया।

फील्ड में उतरे कोविड कंट्रोल ऑफिसर्स और डिप्टी कलेक्टर

महासमुंद। इन दिनों वैश्विक महामारी कोविड-19 की चेन तोडने के लिए जिले में कोरोना सघन सामुदायिक सर्वे अभियान चल रहा है। तेजी से बढ़ी संक्रमण दर के प्रकरणों को देखते हुए कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने भी कोविड-19 की जांच एवं उपचार के लिए जागरूकता प्रचार-प्रसार पर बल दिया है। डिप्टी कलेक्टर और चिकित्सकों की टीम ने महासमुंद एवं पिथौरा के ग्रामीण अंचलों में औचक निरीक्षण किया। सघन सामुदायिक सर्वे अभियान की ज़मीनी हक़ीक़त से रुबरु हुए । इसी कड़ी में रविवार 11 अक्टूबर 2020 को डिप्टी कलेक्टर पूजा बंसल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. आरके परदल के निर्देशानुसार में जिला मुख्यालय के कोरोना वायरस नियंत्रण एवं रोकथाम दल ने नमूना एकत्रीकरण, नमूना ट्रांसपोर्टिंग क्रियान्वयन सहित जन-जागरूकता को लेकर विकासखण्ड इस दौरान दल के जिला नोडल अधिकारी डा. अनिरूद्ध कसार ने खण्ड चिकित्सा अधिकारी डा. तारा अग्रवाल (पिथौरा) की उपस्थिति में ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजकों सहित संबंधित स्वास्थ्यकर्मियों को न केवल कोविड-19 नमूना संकलन की बारीकियां सिखाई साथ ही साथ 15 ग्रामीण परिवारों के घरों में जाकर अपने समक्ष अभ्यास भी कराया।

pnb
Oriental United
Together for the better

मण्डल कार्यालयः भिलाई, द्वितीय तल, जीत टावर, राजकुमार कॉलेज के सामने, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (1)] के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने पंजाब नैशनल बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता और सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8,9 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य (कब्जा) नीचे वर्णित दिनांक को ग्रहण कर लिया है तथा जिसका विवरण अधोवर्णित है।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिये आमंत्रित किया गया है।

ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय पंजाब नैशनल बैंक के मूल ब्याज व अन्य व्यय के भार के अधीन होगा जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	गारंटर/ऋणी का नाम/ शाखा का नाम	बंधक संपति का विवरण एवं संपति का स्वामी	मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि / कब्जा के प्रकार	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम
1.	श्रीमती गीता शर्मा (ऋणी) पति- श्री संदीप कुमार शर्मा, श्री संदीप कुमार शर्मा (ऋणी) पिता- श्री धरमवीर सिंह शर्मा शाखा- धमतरी (छ.ग.) ई-ओबीसी	श्रीमती गीता देवी पति- संदीप कुमार शर्मा के नाम पर सिद्धी विनायक हाउसिंग बोर्ड बिल्डर्स, गुजराती कालोनी, धमतरी के अंतर्गत प्लॉट नं. 18, क्षेत्रफल- 1500.00 वर्गफीट, खसरा नं. 531 का भाग, प.ह.नं. 19, आरएनएम- भोथिली, बंदोबस्त नं. 34, ग्राम- अर्जुनी, ब्लॉक/तहसील/जिला- धमतरी (छ.ग.) में स्थित आवासीय भवन व भूमि के समस्त भाग तथा अंश। चौहद्दी- उत्तर- सिद्धी विनायक हाउसिंग एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. की भूमि, दक्षिण- सिद्धी विनायक हाउसिंग एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. की भूमि, पूर्व- सिद्धी विनायक हाउसिंग एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि. की भूमि, पश्चिम- सड़क।	06.02.2020 / 09.10.2020 / सांकेतिक कब्जा	₹ 10,06,440.86 ब्याज एवं अन्य खर्च दिनांक 01.02.2020 से	श्री सलीम खान 9826255353
2.	श्रीमती उमा भारती सिंह (ऋणी) पति- श्री रंजय सिंह श्री मदन सिंह (गारंटर) पिता- श्री बद्री सिंह श्री रंजय सिंह (बंधककर्ता) पिता- श्री मदन सिंह। शाखा- कोहकागांव (छ.ग.)	श्री रंजय सिंह के नाम पर मरार पारा, खसरा नं. 806/2, वार्ड नं. 17, कोहकागांव (छ.ग.) क्षेत्रफल- 4356 वर्गफीट में स्थित परिवर्तित खुला प्लाट का समस्त भाग तथा अंश। चौहद्दी- उत्तर- विक्रेता की भूमि, दक्षिण- लोकचन्द का प्लॉट, पूर्व- मजूल भूमि, पश्चिम- विक्रेता की भूमि।	24.07.2020 / 07.10.2020 / सांकेतिक कब्जा	₹ 22,16,649.38 ब्याज एवं अन्य खर्च दिनांक 01.05.2020 से	श्री आर. वाय सोनकुसले मो. 7000914625

दिनांक : 12.10.2020 स्थान : रायपुर
प्राधिकृत अधिकारी / पंजाब नैशनल बैंक

मनरेगा ने बदल दी बंजर भूमि की तस्वीर, पथरीली धरती में अब हरियाली

काजू के पेड़ों से पंचायत को हर वर्ष 20 हजार की आमदनी

नव प्रदेश संवाददाता

जगदलपुर। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) से गांवों में लगातार सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आजीविका के साधनों को मजबूत करने के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को सहेजने का काम भी इसके तहत बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। साथ ही हरियाली प्रसार और पर्यावरण संरक्षण के काम भी हो रहे हैं।

मनरेगा ने वनांचल बस्तर के दशापाल गांव में बंजर और पथरीली धरती की तस्वीर बदल दी है। ग्राम पंचायत ने मनरेगा कार्यों के अंतर्गत वहां की खाली जमीन पर कुछ बरस पहले काजू के पौधे लगाए थे। अब ये पौधे पेड़ बन गए हैं और पंचायत को सालाना 20 हजार रूपए की आमदनी दे रहे हैं। इस वृक्षारोपण ने खाली पड़ी जमीन को अतिक्रमण से तो बचाया ही, गांव को हरियाली की चादर भी ओढ़ाई है।

अतिक्रमण से बची जमीन से गांव में आई हरियाली

दशापाल बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड के भेजरीपदर ग्राम पंचायत का आश्रित गांव है। काजू उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु को देखते हुए जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर इस गांव में वर्ष 2006 में मनरेगा के तहत वृक्षारोपण कराया गया था। उस समय साढ़े 40 हजार रूपए की लागत से काजू के 1385 पौधे लगाए गए थे। 49 मनरेगा श्रमिकों ने चार हफ्तों में इस काम को पूरा किया था। गांव के 34 परिवारों को 232 मानव दिवसों का रोजगार मिला था और उन्हें मजदूरी के रूप में करीब 14 हजार रूपए मिले थे। दशापाल की ढाई एकड़ से अधिक खाली बंजर जमीन पर रोपे गए ये पौधे अब 11-11 फीट के काजू के पेड़ बन गए हैं। पिछले सात वर्षों से इनसे ग्राम पंचायत को सालाना 20 हजार रूपए की कमाई हो रही है।

भेजरीपदर के सरपंच रघुनाथ कश्यप बताते हैं कि काजू के पौधों को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती है और जानवर भी इसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जमीन में नमी बनाए रखने के लिए प्रत्येक पौधे के साथ गोलाकार ट्रेंच का निर्माण कराया गया था। अब जब ये पौधे पेड़ बन चुके हैं और फल दे रहे हैं तो गांव को आमदनी हो रही है। इनके रखरखाव और काजू की तोड़ाई में कुछ परिवारों को रोजगार भी मिल रहा है। वे कहते हैं 'मनरेगा के अंतर्गत किए गए इस कार्य ने बंजर जमीन के टुकड़े को कमाऊ संसाधन में बदल दिया है। यह गांव में हरियाली बिखेरने के साथ ही गांव का पर्यावरण भी सुधार रहा है।

न्यूज गैलरी

महिला की सांप काटने से मौत

गुण्डरदेही। रनचिरई थाना क्षेत्र के ग्राम जरवाय मे एक 50 वर्षीय महिला की सर्प काटने से मौत हो गई । सुत्रो से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम जरवाय की रहने वाली साहू परिवार की एक महिला सुमरीत बाई साहू पति उदेराम साहू उम्र 50 वर्ष को जहरीले सर्प के काटने से मौत हो गई घटना रविवार रात 11 बजे की बताई जा रही है महिला अपने कमरे मे रात को सो रही थी इस दौरान वे रात के अंधेरे मे बिजली बटन को चालू करने उठा तभी उनको सर्प ने काटा परिजनो ने तत्काल 108 एंबुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ केंद्र गुण्डरदेही लाया गया जहा उनकी मौत हो गई।

मिक्सचर मशीन में फंसा मजदूर का हाथ

महासमुंद। रविवार को नाली निर्माण के दौरान मिक्सचर मशीन में एक मजदूर का हाथ फंसने से बुरी तरह घायल हो गया। उनकी चीख सुनकर आसपास के लोगों ने उसे किसी तरह बाहर निकाला। उन्हें उपचार के लिए सीएचसी बागबाहरा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तेंदूकोना थाना प्रभारी ने बताया कि गांव में नाली निर्माण का काम चल रहा है। रविवार को हाईस्कूल के पास काम चल रहा था। शाम चार बजे कौहाकुड़ा तेंदूकोना निवासी डीगेश ध्रुव भी वहां काम कर रहा था। इसी दौरान उनका हाथ मिक्सचर मशीन में फंसकर घूम गया। काफी मशक्कत से निकाला गया।

शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म, गिरफ्तार

महासमुंद। शादी का प्रलोभन देकर दो साल से दैहिक शोषण करने वाला रोजगार सहायक जेल भेजा गया। पिथौरा पुलिस के अनुसार ग्राम बल्दीडीह के रोजगार सहायक आरोपी राजेश डड़सेना पिता परेदेशी डड़सेना (33) पिछ्ले दो साल से पिथौरा की एक अविवाहिता को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करता रहा युवती जब भी शादी की बात करती आरोपी टालमटोल करता था जब युवती को उसकी नीयत पर शंका हुई तो रविवार सुबह इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 376 के तहत आरोपी रोजागार सहायक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

लूटकांड की जांच करने जा रही थी पुलिस साइबर सेल की स्कॉर्पियो को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर

नव प्रदेश संवाददाता

खरोरा। आरंग शराब भट्ठी लूट कांड की जांच करने जा रही पुलिस साइबर सेल की स्कॉर्पियो को रविवार को आरंग और खरोरा के बीच ग्राम धिवरा में तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी।

खरोरा आरंग मार्ग मे ग्राम घीवरा के समीप पुलिस क्राइम ब्रांच के स्कार्पीयो व ट्रक मे भिडंत ,स्कार्पीयो सी जी 04एम जी 4326 मे बैठे क्राइम ब्रांच पुलिस दल के 5लोगों को आयी गंभीर चोट मौके से ट्रक चालक फरार बताया गया खरोरा पुलिस मौके पर पहुंच सभी घायलो को इलाज के लिये रायपुर भेजा गया ।प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसार

खरोरा समीप्रस्त आरंग खरोरा मार्ग मे घीवरा के समीप स्कार्पीयो और ट्रक मे टक्कर हो गयी जिसके चलते स्कार्पियो में सवार क्राइम ब्रान्च की टीम के 5 पुलिस जवान को गभीर चोटे आयी जिसे खरोरा के निजी अस्पताल मे इलाज कराया गया पुलिस जवानो के जवान के सिर मे चोट आने के चलते बेहतर इलाज के लिये रायपुर रिफर किया गया वही ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है घायलो मे जमीरखान ,किशोर सेठ , आशीष त्रिपाठी ,भार्गव,और कृपा सिन्धु शमील है खरोरा पुलिस मौके पर पहुंच जहाँ पुलिस खे इन जवानो को खरोरा के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रायपुर भेजा वही अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला बना कार्यवाही मे जुटी गयी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।

> *आरंग शराब भट्टी में हुई लूट की जांच करने के लिए टीम भेजी थी। इसी दौरान सड़क हादसा हुआ। जिसमें जवान घायल हो गए।*
>
> **रमाकांत साहू साइबर सेल प्रभारी**

रेल लाईन को मंजूरी, किसानों में हलचल, बैठकों का दौर शुरू

डोंगरगढ़। डोंगरगढ कर्वधा ,कटघोरा रेल लाइन को रेल मंत्रालय से मंजुरी मिलने के बाद अब किसानों में लगातार हलचल देखने को मिल रही है किसानों ने अपने अधिकार के लिए विगत दिनों खैरागढ के ग्राम खजरी में बैठक रख अपने -अपने विचार रखा है बैठक में सर्वप्रथम समिति के पूर्व अध्यक्ष नैनकुमार जनबंधु को किसानो ने श्रंद्धाजली दी । तद्प्रश्चात डोगरगढ व खैरागढ सभी प्रभावित किसानो ने अपने मांग को लेकर एक मत से राय रखी की परिवार के एक सदस्य को नौकरी व चार गुणा मुआवजा दिया जाए और जब तक उक्त मांग को पुरा नही किया जाता तब तक प्रभावित किसान भू-र्जन व काम का विरोध करेगें। बैठक में किसानो के द्वारा सभी प्रभावित गांवो में तीन तीन प्रमुख बनाए गए है । उक्त बैठक में ग्राम नागतराई, अछोली, बेलगांव , धुसेरा, कटली रिवागहन, कोलेद्रा, अमलीडीह, प्रकाशपुर, ठाकुरटोला, सिवनीकला, छपारा, घोघीडबरी, बिजनापुर, सांरगपुर, प्रकाशपुर, पेंडी, खजरी, दिलीपपुर, हनईबन, काचरी, दपका, सहीत अन्य ग्राम के प्रभावित किसान मौजुद थे। किसानो ने बताया कि किसान लगातार एक दुसरे से सपंर्क बनाकर अपनी मांगो को रेल्वे के अधिकारीयो के साथ- साथ जिला व क्षेत्र के जनप्रतिधियो को अवगत करा चुके है इसके बाद भी किसानो की मांग अभी तक पुरी नही हो पाई है अब किसानो ने उक्त कार्य की मंजुरी मिलने के बाद अपने अधिकार के लिए मैदान में आने के लिए रणनीति बना रहे है जिसको लेकर आगामी दिनों में गंडई क्षेत्र में बैठक रखी जाएगी।

अज्ञात चोरों ने डेलीनीड्स दुकान पर की चोरी

खरोरा। खरोरा नगर के ह्रदय स्थल बस स्टैंड मे स्थित शंकर पान व फैसी डेली निड्स की दुकान मे अज्ञात चोरो ने गत रात्री दुकान हमला बोल नगदी सहित समान ले उड़े। दुकान मालिक सुबह दुकान पहुंचा तब देखा कि दुकान का सटर खुला हुआ है इसे देख इसकी सुचना थाना प्रभारी नितेश सिंह ठाकुर को दी गयी। थाना प्रभारी ने तुरंत पेट्रोलिग टीम को दुकान भेजा जहाँ पुलिस के जवानों ने दुकान पहुंच दुकान का मुआयना कर दुकान संचालक को थाने जाकर लिखित जानकारी देने को कहा, इस पर दुकान मालिक कमलेश कुम्भकार थाना पंहुच थाने मे तैनात एएसआई वर्मा को दुकान मे हुये चोरी की जानकारी दी।

क्लर्क की नौकरी लगाने महिला की लूटी अस्मत, 8.75 लाख रु. भी ऐंठे, गिरफ्तार

नव प्रदेश संवाददाता

गुंडरदेही। सिकोसा से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम धनगांव निवासी सुरेश भारती पिता स्व.रामदास भारती द्वारा पिछ्ले कई सालों से बालोद कलेक्ट्रेड में जाया करते थे जानकारो से पता चला कि पूर्व में इनके द्वारा कई लोगों को धोखाधड़ी किया जा चुका है थाना बालोद में प्रार्थिया तोमिन साहू पिता राजकुमार साहू, 34 वर्ष निवासी हीरापुर के द्वारा दिनांक 10.10.20 को थाना बालोद उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी सुरेश भारती पिता स्व. रामदास भारती, 50 वर्ष सा. धनगांव थाना अर्जुन्दा जिला बालोद के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में नौकरी लगाने के नाम पर 8.75 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी करने एवं इसी दौरान प्रार्थिया को अलग अलग स्थान पर इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया है कि रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 325/20 धारा 420, 376(2)(ठ) भादवि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के बयान एवं संलग्न दस्तावेज से आरोपी के विरुद्ध उपरोक्त धारा का अपराध घटित करना पाये जाने पर आज दिनांक 11.10.20 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

दो बाइक में भिड़ंत, एक की मौत

गुंडरदेही। ब्लाक सिकोसा में दो मोटरसाइकिल आपस में टकराने से कचांदूर के एक व्यक्ति का घटनास्थल पर मौत बताया जा रहा है मृतक व उनके साथी बालोद निजी कार्य के लिए गए हुए थे। मृतक को चोट अंदरूनी लगा है वही उनके सहयोगी को जरा भी चोट नहीं पहुंचा घटना कैसे हुई एक्सीडेंट पीछे बैठने वाले को पता नहीं चला। गुंडरदेही ब्लाक मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर ग्राम सिकोसा के नया पेट्रोल पंप के पास दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा जाने से कचांदूर निवासी मनहरण नेताम उम्र 55 वर्ष का घटनास्थल पर मौत हो गया वही उनके पीछे में बैठे युवक देवरी का है देवरी के युवक से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह घटना लगभग 6:00 बजे का है दोनों एक ही मोटरसाइकिल में बालोद से अपना निजी कार्य निपटा कर अपने गांव कचांदूर जा रहे थे उसी बीच दुर्ग की ओर से बालोद जा रही मोटरसाइकिल से टकरा गया बताया जा रहा है कि 55 वर्षीय मनहरण को अंदरूनी चोट के कारण घटनास्थल पर मौत हो गया जिसे 108 वाहन में समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुंडरदेही पहुंचाया गया जहां पास डॉक्टर अजय पाल चंद्राकर ने मनहरण नेताम को मृत घोषित किया गया वहीं इनकी सूचना ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच संतोष कुमार चंद्राकर को दिया गया तब उनकी परिजन अस्पताल पहुंचे।

नवरात्रि 17 से, दुर्गा प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार

लवन। नवरात्रि व दशहरा पर्व के आगमन को लेकर जहाँ विभिन्न तैयारियां की जा रही है, वही मूर्ति कलाकारों ने दुर्गा प्रतिमाओं को पूर्ण करने में दिन-रात एक कर दिए है। प्रशासनिक गाइड लाईन के बाद कलाकार अब तेजी से प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे है। प्रायः सभी मुर्तिकारों ने एक माह पहले से ही प्रतिमाएं बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था जिसकों अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। दुर्गा समितियों द्वारा बुकिंग कर प्रतिमाएं बनवाई जा रही है। लवन नगर में दो-तीन जगहों पर दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। मुर्तिकार ने बताया कि एक मूर्ति बनाने में छह से बारह दिन का समय लगता है। कलाकारों ने बताया कि नेत्रों के संयोजन से मुर्तियों में जीवंतता आती है। साज-सज्जा व अच्छे रंगों का चयन कर मूर्तियों को आकर्षक बनाया जा सकता है। कलाकारों ने बताया कि लकड़ी फाउन्डेशन व बैलेंस सेट करने में विशेष ध्यान देना पड़ता है। साज-सज्जा की कीमत बढ़ने से मूर्तियां बनाना महंगा तो हुआ लेकिन मांग में कोई अन्तर नहीं आया है। कलाकार पूरी निष्ठा से इस कार्य में लगे हुए है।

कोरोना काल में स्कूली बच्चे मछली पकड़ने व गेम खेलने में व्यस्त, माता-पिता चिन्तित

लवन। नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों माता-पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। जो बच्चे आगे चलकर अपना और अपने साथ-साथ परिवार, समाज को आगे बढ़ाने और एक बेहतर जीवन शैली का निर्माण करने में सहायक होते, उनकी ही आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। बहुत बड़ी विडंबना उसके भविष्य को संवारने वाले बच्चे हो गए है। कोरोना महामारी के चलते शिक्षा व्यवस्था को आनलाइन कर दी गई है, वहां इस आनलाइन पढ़ाई से अधिकांश बच्चे कोसो दूर है। बच्चे आज अपना समय मछली पकड़ने, मोबाईल गेम खेलने, बांटी खेलने, कब्बडी खेलने और खाली समय में इधर-उधर घूमने में व्यतीत कर रहे है। लॉकडाउन के चलते स्कूल-कॉलेज व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में आनलाइन कक्षाएं चल रही है। वही बच्चों को आनलाइन होमवर्क दिया जा रहा है। शिक्षक भी वॉट्सअप व एप्लीकेशन के जरिए बच्चों को पढ़ा रहे है। पैरेंट्स की माने तो फिजिकल क्लास रूप व आनलाइन क्लास में बहुत अंतर है, क्योंकि इसमें कई खामियां धीरे-धीरे निकल कर आ रही है। बच्चों को जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, वह समझ में कम आ रहा है।

युवती ने कुंए में लगाई छलांग, मौत

महासमुंद। बागबाहरा थाना क्षेत्र के ग्राम भानपुर में एक युवती अज्ञात कारणों से घर की बाड़ी स्थित कुंए में छलांग लगाकर जान दे दी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। जानकारी के मुताबिक भानपुर निवासी चित्ररेखा ध्रुव पिता बृजमोहन (18) ने शनिवार को अज्ञात कारणों से घर की बाड़ी स्थित कुंए में छलांग लगा दी और डूबने से उसकी मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने जांच में लिया।

रुपए मांगा नहीं दिया तो चाकू से वार

महासमुंद। एक युवक के रुपए मांगने पर नहीं दिए जाने से गुस्से में आकर उसने चाकू से हमला कर घायल कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। मौहारीभाठा निवासी प्रियांशु चंद्राकर पिता ज्ञानेश्वर (18) ने पुलिस को बताया कि मचेवा निवासी कमलेश भट्ट रविवार सुबह कचहरी चौक पर रुपए मांग रहा था। मना करने पर उसने उस पर चाकू से हमला कर चोट पहुंचाई और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर जांच में लिया है।

तीन मामले में 16 किलो गांजा बरामद, पांच बंदी

■ बसना में चार और कोतवाली थाना क्षेत्र में एक पकड़ाया

महासमुंद। गांजा तस्करी के तीन अलग-अलग मामले में पुलिस ने पांच तस्करों से करीब 16 किलो गांजा जब्त कर नारकोटिक एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बसना थाना प्रभारी के मुताबिक देवगांव ओड़िशा निवासी उसत पिता गढ़ी साहनी (25) कृष्णकुमार (26) बाइक क्रमांक ओडी 03 एल 6178 से गांजा लेकर रायपुर की ओर जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पदमपुर रोड में घेराबंदी कर तस्करों को पकड़ लिया। जांच के दौरान उनके पास से कुल 5 किलो 2 सौ ग्राम गांजा कीमती 52 हजार रुपए और दो नग मोबाइल कीमती दो हजार व 80 हजार रुपए कीमती बाइक जब्त की। इसी तरह सिटी ग्राउंड के पास कोनीर बरगढ़ ओड़िशा निवासी लक्ष्मीनारायण पिता मोहित (50) निर्मल पटेल पिता ब्रम्हा (27) बाइक क्रमांक सीजी 04 एडब्लू 5062 से गांजा लेकर रायपुर की ओर जा रहे थे जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया। जांच के दौरान उनके पास 9 किलो 8 सौ गांजा कीमत 1 लाख रुपए 2 नग मोबाइल कीमत 2 हजार और 15 हजार कीमत की बाइक कुल 1 लाख 17 हजार रुपए जब्त कर नारकोटिक एक्ट 20 (बी) के तहत कार्रवाई की। कोतवाली पुलिस ने भी शनिवार को नयापारा वार्ड 11 निवासी मनीराम निर्मलकर पिता केजऊ (47) के घर से गांजा जब्त की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घर पर दबिश दी और उसके पास से 1.900 किलो गांजा कीमती 9500 सौ रुपए जब्त की।